# छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

"वन धन भवन", नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007

(पंजीयन क्रमांक 225 दिनांक 31.10.2000)

# इक्कीसवीं वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 30 दिसम्बर 2020

समय : अपरान्ह 03.00 बजे

स्थान : कान्फ्रेन्स हॉल, तृतीय तल, वन धन भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

# कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

"वन धन भवन"

सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

E-mail: mfpfed.cg@nic.in ☎ (0771) 2513100 Website: www.cgmfpfed.org


**क्रमांक/MFP08/01-01-AGM/21/2020/12468** **नवा रायपुर, दिनांक 21/12/2020**

**प्रति,**

1. **श्री भरत साय, माननीय अध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर
   पता - मुण्डाडीह, पोस्ट भगोरा, तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग)

2. **श्री टीकम टांडिया, उपाध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर
   पता - ग्राम पोस्ट भीरागांव, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)

3. **कु. समीरा पैकरा, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर
   पता - ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) व्हाया खोडरी, जिला बिलासपुर (छ.ग)

4. **श्रीमती सुशीला बाई, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर
   पता- ग्राम मुड़ागांव, पोस्ट मुड़गेलमाल, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग)

5. **श्री कपूर चंद बिसाई, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर
   पता - ग्राम पोस्ट बकावण्ड, विकासखण्ड बकावण्ड, जिला बस्तर (छ.ग)

6. **श्री बसंत सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया, **संघ प्रतिनिधि**
   पता - ग्राम जटासमेर, पोस्ट पतरापाली, तहसील बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग)

7. **श्री प्रीतम सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
   पता - ग्राम पोस्ट बहरासी, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया (छ.ग)

8. **श्री अखिलेश,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा, **संघ प्रतिनिधि,**
   पता - ग्राम कोरछा, पोस्ट लखनपुर, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग)

9. **श्री राम सुन्दर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर, **संघ प्रतिनिधि**
   पता- ग्राम पोस्ट रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर (छ.ग)

10. **श्री हीरा सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर, **संघ प्रतिनिधि**
    पता - ग्राम डडरी, पोस्ट जयनगर, विकासखण्ड व जिला सूरजपुर (छ.ग)

11. **श्री मनोहर सिंह राज,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, **संघ प्रतिनिधि**
    पता - ग्राम पोस्ट छतौना, व्हाया बेलगहना, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग)

12. **श्री सुन्दर सिंह राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, **संघ प्रतिनिधि**
    पता - ग्राम पोस्ट गितकुवारी, व्हाया कुदमुरा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग)

13. **श्रीमती बदन बाई,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, **संघ प्रतिनिधि**
    पता - ग्राम सगुना, पोस्ट बिंझरा, तहसील पाली, जिला कोरबा (छ.ग)

14. **श्री राज कुमार बिंझवार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर-चांपा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम अंगारखार, पोस्ट खैजा, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग)

15. **श्री सुरेन्द्र कुमार सिदार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट आमगांव, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग)

16. **श्री हृदय राम राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम कुर्रा, पोस्ट राजपुर, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग)

17. **श्री अमर सिंह नेताम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार, **संघ प्रतिनिधि**
पता ग्राम डुमरपाली, पोस्ट बया, व्हाया पिथौरा, वि.ख. कसडोल, जिला बलौदा-बाजार (छ.ग)

18. **श्री सोमनाथ सोम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम सम्बलपुर, पोस्ट अमाली, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग)

19. **श्री मनोहर सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुन्द, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट जोगनीपाली, समिति सरायपाली, जिला महासमुन्द (छ.ग)

20. **श्री पंच राम धुर्वे,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट कुकदुर, विकासखण्ड पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग)

21. **श्री दिनेश शाह मंडावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट मानपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग)

22. **श्री मोतीराम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम खम्पुरा, पोस्ट बोरतलाब, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग)

23. **श्री असीम राय,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पी.व्ही.36, पोस्ट हरनगढ़, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)

24. **श्री पतिराम मण्डावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, केशकाल, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट खेतरपाल, तहसील केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ.ग)

25. **श्री भगत राम मरकाम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, द.कोण्डागांव, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट केरावाही, तहसील मकड़ी, जिला कोण्डागांव (छ.ग)

26. **श्री विश्राम सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम माण्डरादरहा, पोस्ट जामगांव, तहसील नरहनपुर जिला कांकेर (छ.ग)

27. **श्री महादेव देहारी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डुमरतराई, पोस्ट बाकुलवाही, जिला नारायणपुर (छ.ग)

28. **श्री मड़कम हड़मा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम चिचोरगुड़ा, पोस्ट मिसमा, तहसील कोंटा, जिला सुकमा (छ.ग)

29. **श्री पारेट कन्हैया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम पेगड़ापल्ली, पोस्ट दूधेड़ा, तहसील भोपालपट्टनम, जिला बीजापुर (छ.ग)

30. **श्री फागूराम तेलामी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डारापाल, पोस्ट नेलसनार, जिला बीजापुर (छ.ग)

31. **कार्यकारी संचालक,** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 3 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

32. **संचालक,** आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016

33. **प्रमुख सचिव,** छ.ग.शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

34. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक,** वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर

35. **प्रबंध संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर, अटल नगर

36. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

37. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)** वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर

38. **विशेष सचिव,** छ.ग.शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

39. **पंजीयक,** सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

40. **श्री सतीश पाण्डेय, अपर सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन - वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः- **छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की इक्कीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.12.2020 हेतु नियत स्थान में परिवर्तन की सूचना बावत्।**

संदर्भः- इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक/MFP08/01-01-AGM/21/2020/12316 दिनांक 15/12/2020

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की इक्कीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.12.2020 को अपरान्ह 3.00 बजे वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किये जाने के संबंध में सूचना प्रसारित की गयी थी।

उक्त सूचना में आंशिक संशोधन करते हुये संघ की इक्कीसवीं वार्षिक साधारण सभा के आयोजन हेतु स्थान **''कान्फ्रेन्स हॉल, तृतीय तल, वन धन भवन, सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर''** नियत किया गया है। कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

सही/-
**संयुक्त पंजीयक एवं सचिव**
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

# विषय सूची

| अनु.क्र. | विषय |
|---|---|
| 1 | बीसवीं वार्षिक आम सभा दिनांक 30.09.2019 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन। |
| 2 | वित्तीय वर्ष 2020-21 में किये गये कार्यों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण। |
| 3 | वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित क्रिया-कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन। |
| 4 | वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन। |
| 5 | वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंकेक्षण टीप संचालक मण्डल के अनुमोदन उपरान्त आमसभा में शुद्ध लाभ की विभाजन की पुष्टि बाबत्। |
| 6 | वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2021-22 के लिए बजट की स्वीकृति। |
| 7 | वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत्। |
| 8 | वर्ष 2018 सीजन के लिये अग्रिम में अविक्रित तेन्दूपत्ता फड़ों एवं अस्थाई गोदाम हैंडलिंग एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति की राशि का अपलेखन करने बाबत्। |

**कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें।**

सही/-
**संयुक्त पंजीयक एवं सचिव**
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं
विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

# विषय सूची



| अनु. क्र. | विषय | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 1 | बीसवीं वार्षिक आम सभा दिनांक 30.09.2019 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन। | 01 - 10 |
| 2 | वित्तीय वर्ष 2020-21 में किये गये कार्यों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण। | 11 - 30 |
| 3 | वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित क्रिया-कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन। | 31 - 35 |
| 4 | वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन। | 36 |
| 5 | वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंकेक्षण टीप संचालक मण्डल के अनुमोदन उपरान्त आमसभा में शुद्ध लाभ की विभाजन की पुष्टि बाबत्। | 37 |
| 6 | वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2021-22 के लिए बजट की स्वीकृति। | 38 - 57 |
| 7 | वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत्। | 58 |
| 8 | वर्ष 2018 सीजन के लिये अग्रिम में अविक्रित तेन्दूपत्ता फड़ों एवं अस्थाई गोदाम हैंडलिंग एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति की राशि का अपलेखन करने बाबत्। | 59 |



**सही/-**

**संयुक्त पंजीयक एवं सचिव**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

# अध्यक्षीय उद्‌बोधन

## सम्माननीय प्रतिनिधिगण तथा संचालकगण,

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की इक्कीसवीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित सभी सम्मानीय संचालक मण्डल के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।

सहकारिता में त्रिस्तरीय संरचना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) शीर्ष सहकारी संस्था है। जिसका कार्यक्षेत्र समस्त छत्तीसगढ़ राज्य है एवं इसके अंतर्गत 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां एवं 31 जिला वनोपज सहकारी संघ कार्यरत है। छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत क्षेत्र वनभूमि होने के कारण यहां पर लघु वनोपज का बाहुल्य है। लगभग 12.50 लाख परिवार लघु वनोपज के संग्रहण से आय प्राप्त करते है, जिसमें से अधिकांश गरीब एवं आदिवासी है। राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ इन्ही गरीब व आदिवासी संग्रहणकर्ताओं के आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लक्ष्य की पूर्ति में अग्रसर है।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2020 हेतु तेन्दू पत्ता संग्रहण दर रुपये 4000/- प्रति मानक बोरा रखी गयी है। तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2020 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 902 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 954 लाट बनाये गये थे, उक्त लाटों में संग्रहित तेन्दू पत्ते की मात्रा 9.728 लाख मानक बोरा में से 9.708 लाख मानक बोरा भण्डारित हुआ। अग्रिम में विक्रित 634 लाटों में 7.717 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रू. 389.15 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रू. 5196/- प्रति मानक बोरा रहा। अविक्रित 315 लाटों एवं क्रेता करारनामा निष्पादित नहीं किया गया 3 लाट, कुल 318 लाटों में विभागीय संग्रहण करने का निर्णय लिया गया। इसमें से 24 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार 294 लाटों में 1.991 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया। कुल संग्रहित मात्रा 9.728 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का संग्रहण हुआ, जो अधिसूचित मात्रा 16.717 लाख मानक बोरा का 58.19 प्रतिशत है।

अविक्रित 294 लाटों में 1.991 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया। भण्डारित लाटों में से 89 लाटों की 0.64 लाख मानक बोरा की विक्रय राशि रु. 40.76 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रू. 6299/- प्रति मानक बोरा रहा। विभागीय संग्रहित एवं भण्डारित अनिर्वर्तित तेन्दू पत्ते की 205 लाटों की 1.344 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ते के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है।

संघ द्वारा संचालित शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना दिनांक 05.08.2020 से संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रू. 2.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रू. 2.00 लाख अतिरिक्त रूप से प्रदाय किया जाएगा। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में राशि रू. 2.00 लाख तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति

में राशि रू.1.00 लाख की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदुपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाएगी।

तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रू.30,000/- तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर रू.75,000/- की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में रू.75,000/- तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में रू.37,500/- की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदुपत्ता संग्राहक को प्रदाय की जायेगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 50 प्रतिशत की राशि छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन किया जावेगा।

मेघावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार के तहत् प्रत्येक प्राथमिक वनोपज समिति क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 2500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 3000/- पुरस्कार राशि दी जाती है। यह पुरस्कार समिति क्षेत्र के अंतर्गत एक छात्र तथा एक छात्रा को प्रदान की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में 2741 छात्र/छात्राओं हेतु रू. 75,05,000.00 राशि वितरित किया गया है।

तेंदूपत्ता संग्राहकों के प्रतिभाशाली बच्चों जिन्होंने 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये है, उनको कक्षा 10वी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रूपये 15,000/- तथा कक्षा 12वी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रू. 25,000/- शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया जाता है। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में 4702 छात्र/छात्राओं हेतु रू. 8,04,10,000.00 राशि वितरित किया गया है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2018 के तेन्दूपत्ता निर्वर्तन उपरान्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रूपये 233.02 करोड़ का वितरण संग्राहको को किया जाना था। जिसमें से राशि रूपये 230.56 करोड़ का वितरण किया जा चुका है एवं शेष राशि रूपये 2.46 करोड़ का वितरण किया जा रहा है।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधको के पारिश्रमिक में वृद्धि हेतु माननीय मुख्यमंत्री छ.ग.शासन द्वारा की गई जनघोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 12.10.2020 में बिन्दु क्रमांक (06) में पारित निर्णय के पालन में तेन्दूपत्ता प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा दिये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/MFP08/08-04/04-02-2020/ 11181 नवा रायपुर, दिनांक 13/11/2020 द्वारा छ.ग.शासन वन विभाग को प्रेषित किया गया है।

राज्य शासन द्वारा लाख पालन कार्य को कृषि के समतुल्य मानते हुए लाख पालन हेतु बिना किसी ब्याज के फसल ऋण, फसल बीमा सुविधा लाख कृषकों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। लगभग 50,000 कृषकों द्वारा 4 लाख टन लाख का उत्पादन प्रति वर्ष किया जाता है जिससे किसानों को राशि रू.100 करोड़ का आय प्राप्त होता है आगामी 03 वर्ष में लाख उत्पादन को 4000 टन से बढ़ाकर 10000 टन किये जाने का संकल्प शासन द्वारा दिया गया है।

वर्तमान वर्ष 2020-21 में 38 प्रकार के लघु वनोपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने की अनुमति शासन द्वारा दी गई है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण लघु वनोपज जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नही है कि खरीदी संघ द्वारा निर्धारित दर पर की जा रही

है। कुल 14 लघु वनोपज, संघ द्वारा निर्धारित दर पर क्रय किया जा रहा है। लघु वनोपज क्रय का कार्य स्व-सहायता समूहों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इससे एक ओर जहां संग्राहकों को उनके वनोपज को उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है, वही दूसरी ओर समूहों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

संघ द्वारा संग्रहित वनोपज को प्राथमिक प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये राज्य में 139 वन-धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से 103 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार कर **''छत्तीसगढ़ हर्बल्स''** नाम पर संजीवनी केंद्रों द्वारा विक्रय किये जा रहे हैं।

राज्य में लघु वनोपज को वृहद स्तर पर प्रसंस्करण करने हेतु राज्य के पाटन क्षेत्र में एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई एवं इसी प्रकार दंतेवाड़ा जिले में निवासरत ग्रामीणों के उत्थान के लिये वहाँ एक क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना प्रस्तावित है। इस प्रकार लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा देते हुये ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार का अवसर दिया जावेगा।

अन्त में मैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से पुनः उपस्थित सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपके प्रयासों से छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, जिलो में कार्यरत जिला यूनियन सहकारी संघ तथा 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में सफल हो सका है। आशा है भविष्य में भी आप इसी प्रकार लघु वनोपज संग्राहकों जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, की सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में कार्य करते रहेंगें।

धन्यवाद।

(भरत साय)

## विषय क्रमांक - 1

**विषयः- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की बीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.09.2019 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की बीसवीं वार्षिक आम सभा श्री भरत साय अध्यक्ष, छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.2019 दिन सोमवार को समय दोपहर 12.00 बजे से कान्फ्रेन्स हाल, तृतीय तल, वन धन भवन, सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर में प्रारंभ की गई।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष छ.ग लघु वनोपज संघ के क्रियाकलापों के संबंध में अध्यक्षीय उद्बोधन किया गया। संघ द्वारा जिला यूनियन के संघ प्रतिनिधियों एवं संचालक मंडल के सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रबंध संचालक द्वारा आम सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

आम सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी उपस्थित रहेः-

| | |
|---|---|
| 1. | **श्री भरत साय, माननीय अध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर<br>पता - मुण्डाडीह, पोस्ट भगोरा, तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग) |
| 2. | **श्री टीकम टांडिया, उपाध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर<br>पता - ग्राम पोस्ट भीरागांव, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग) |
| 3. | **कु. समीरा पैकरा, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर<br>पता - ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) व्हाया खोडरी, जिला बिलासपुर (छ.ग) |
| 4. | **श्रीमती सुशीला बाई, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर<br>पता- ग्राम मुड़ागांव, पोस्ट मुड़गेलमाल, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग) |
| 5. | **श्री कपूर चंद बिसाई, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर<br>पता - ग्राम पोस्ट बकावण्ड, विकासखण्ड बकावण्ड, जिला बस्तर (छ.ग) |
| 6. | **श्री यज्ञ दत्त शर्मा, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर<br>पता - ग्राम आमापारा, बालोद, तहसील बालोद, जिला बालोद (छ.ग) |
| 7. | **श्री अखिलेश,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा, **संघ प्रतिनिधि,**<br>पता - ग्राम कोरछा, पोस्ट लखनपुर, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग) |
| 8. | **श्री राम सुन्दर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता- ग्राम पोस्ट रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर (छ.ग) |
| 9. | **श्री मनोहर सिंह राज,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम पोस्ट छतौना, व्हाया बेलगहना, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग) |

| | |
|---|---|
| 10. | **श्री सुन्दर सिंह राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम पोस्ट गितकुवारी, व्हाया कुदमुरा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग) |
| 11. | **श्री सुरेन्द्र कुमार सिदार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम पोस्ट आमगांव, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग) |
| 12. | **श्री हृदय राम राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम कुर्रा, पोस्ट राजपुर, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग) |
| 13. | **श्री अमर सिंह नेताम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता ग्राम डुमरपाली, पोस्ट बया, व्हाया पिथौरा, वि.ख.-कसडोल, जिला-बलौदा-बाजार(छ.ग) |
| 14. | **श्री सोमनाथ सोम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम सम्बलपुर, पोस्ट अमाली, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग) |
| 15. | **श्री पंच राम धुर्वे,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम पोस्ट कुकदुर, विकासखण्ड पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग) |
| 16. | **श्री दिनेश शाह मंडावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम पोस्ट मानपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग) |
| 17. | **श्री पतिराम मण्डावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, केशकाल, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम पोस्ट खेतरपाल, तहसील केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ.ग) |
| 18. | **श्री महादेव देहारी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम डुमरतराई, पोस्ट बाकुलवाही, जिला नारायणपुर (छ.ग) |
| 19. | **प्रधान मुख्य वन संरक्षक,** वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर |
| 20. | **प्रबंध संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर, अटल नगर |
| 21. | **श्री पी.एस सर्पराज उप सचिव,** प्रतिनधि **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर |
| 22. | **श्री अनुप कुमार बिश्वास प्रतिनिधि,** अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) वन विभाग, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर |
| 23. | **श्री युगल किशोर वर्मा** सहायक पंजीयक, प्रतिनिधि **पंजीयक,** सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर |
| 24 | **श्री चन्द्राकर विधायक महासमुंद** एवं अध्यक्ष जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित महासमुंद विशेष- आमंत्रित सदस्य। |

बीसवीं वार्षिक साधारण आम सभा की बैठक में श्री संजय शुक्ला, अपर प्रबंध संचालक, श्री अरूण पाण्डेय, कार्यकारी संचालक (व्या/वि), श्री बी.आनंद बाबू, कार्यकारी

संचालक (परि/वि), श्री विश्वेश कुमार महा प्रबंधक एवं श्रीमती सावित्री भगत सचिव, श्री एस.के.दत्ता, उप महा प्रबंधक (प्रणाली) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर भी उपस्थित रहे।

| आम सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी अनुपस्थित रहे:- | |
|---|---|
| 1. | **श्री बसंत सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम जटासमेर, पोस्ट पतरापाली, तहसील बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग) |
| 2. | **श्री प्रीतम सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम पोस्ट बहरासी, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया (छ.ग) |
| 3. | **श्री हीरा सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम डडरी, पोस्ट जयनगर, विकासखण्ड व जिला सूरजपुर (छ.ग) |
| 4. | **श्रीमती बदन बाई,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम सगुना, पोस्ट बिंझरा, तहसील पाली, जिला कोरबा (छ.ग) |
| 5. | **श्री राज कुमार बिंझवार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम अंगारखार, पोस्ट खैजा, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग) |
| 6. | **श्री मनोहर सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुन्द, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम पोस्ट जोगनीपाली, समिति सरायपाली, जिला महासमुन्द (छ.ग) |
| 7. | **श्री मोतीराम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम खम्पुरा, पोस्ट बोरतलाब, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग) |
| 8. | **श्री असीम राय,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता ग्राम पी.व्ही.36, पोस्ट हरनगढ़, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग) |
| 9. | **श्री भगत राम मरकाम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, द.कोण्डागांव, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम पोस्ट केरावाही, तहसील मकड़ी, जिला कोण्डागांव (छ.ग) |
| 10. | **श्री विश्राम सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर, **संघ प्रतिनिधि,**<br>पता - ग्राम माण्डरादरहा, पोस्ट जामगांव, तहसील नरहरपुर जिला कांकेर (छ.ग) |
| 11. | **श्री मड़कम हड़मा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम चिचोरगुड़ा, पोस्ट मिसमा, तहसील कोंटा, जिला सुकमा (छ.ग) |
| 12. | **श्री पारेट कन्हैया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, **संघ प्रतिनिधि,**<br>पता - ग्राम पेगड़ापल्ली, पोस्ट दूधेड़ा, तहसील भोपालपट्टनम, जिला बीजापुर (छ.ग) |
| 13. | **श्री फागूराम तेलामी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा, **संघ प्रतिनिधि**<br>पता - ग्राम डारापाल, पोस्ट नेलसनार, जिला बीजापुर (छ.ग) |
| 14. | **कार्यकारी संचालक,** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 3 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 |
| 15. | **संचालक,** आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016 |

| | |
|---|---|
| 16. | **अपर मुख्य सचिव,** छ.ग.शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर |
| 17. | **विशेष सचिव,** छ.ग.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर |
| 18. | **श्री सतीश पाण्डेय, अपर सचिव,** छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर। |

सभा में विषयवार विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-

| विषय क्रमांक | विषय | संकल्प | की गई कार्यवाही |
|---|---|---|---|
| **1** | उन्नीसवीं वार्षिक आम सभा दिनांक 27.07. 2018 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन। | बीसवीं वार्षिक साधारण सभा द्वारा उन्नीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 27.07.2018 के कार्य वृत्त की पुष्टि की गयी तथा पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया। | कार्यवाही की आवश्यकता नहीं। |
| **2** | वित्तीय वर्ष 2019-20 में किये गये कार्यों- तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग-1 एवं वर्ग-2 का व्यापार, तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण। | वार्षिक आम सभा में प्रबंध संचालक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में संघ द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसका आम सभा में उपस्थित संचालकों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।<br><br>विषय क्रमांक-2 (V) तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण ''तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2018 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से शासन के निर्देश उपरांत लगभग 171 करोड़ की राशि का तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा | कार्यवाही की आवश्यकता नहीं। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | संग्रहित तेन्दूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किया जावेगा।" शब्दावली को विलोपित किया जाता है। | |
| 3 | वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्तावित क्रिया कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग - 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन। | वार्षिक आमसभा में प्रबंध संचालक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्तावित क्रिया कलापों का विवरण प्रस्तुत किया गया। जिसका अवलोकन उपरान्त आमसभा में उपस्थित संचालको द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। | अद्यतन जानकारी का विस्तृत विवरण पुस्तिका में अंकित है। |
| 4 | वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट की स्वीकृति। | वार्षिक आम सभा में प्रबंध संचालक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मदवार बजट प्रस्ताव का विवरण आम सभा में प्रस्तुत किया गया जिसका आम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।<br><br>कार्यालयीन व्यवस्था व्यय हेतु वर्ष 2020-21 के लिये 2743.00 लाख का बजट पारित किया गया है।<br><br>वित्तीय वर्ष 2018-19 में कर्मचारी भविष्य निधि | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | अंशदान में प्रावधानित राशि रूपये 70.00 लाख के विरूद्ध रूपये 85.72 लाख व्यय हुआ जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।<br>पूंजीगत व्यय हेतु वर्ष 2020-21 के लिये 2030.00 लाख का बजट पारित किया गया।<br>अनुपूरक बजट का प्रस्ताव वर्ष 2019-20 के लिये कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान रूपये 125.00 लाख की स्वीकृति दी गई है।<br>वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये संघ कार्यालय भवन हेतु बिजली एवं पानी व्यय मद में रूपये 25.00 लाख की स्वीकृति दी गई है।<br>वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये वाहन ईंधन व्यय मद में रूपये 25.00 लाख की स्वीकृति दी गई है।<br>आधिक्य / कमी के संबंध में संघ की शुद्ध हानि के संबंध में संग्रहण दर 4000/- रू. प्रति मानक बोरा राज्य शासन द्वारा किए जाने से संघ को हुई शुद्ध हानि की राशि की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु राज्य शासन को पत्र लिखा जावे। | कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/संघ/व्या/2019/9879 दिनांक 17.10.2019 से अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन वन विभाग को वर्ष 2019 के तेन्दूपत्ता पर अनुमानित हानि की प्रतिपूर्ति राशि रूपये 121 करोड़ के संबंध में लेख किया गया है। |
| 5 | वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन। | वार्षिक आम सभा में संचालक मंडल के द्वारा पूर्व अवलोकित वित्तीय वर्ष 2018-19 में समस्त 31 जिला यूनियनों के प्राप्त वार्षिक लेखों का समायोजन उपरांत संघ के अंतिम | कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | वित्तीय पत्रक (व्यापार पत्रक / लाभ-हानि एवं स्थिति विवरण पत्रक) तैयार कर अंकेक्षित अंतिम वित्तीय पत्रक संचालक मंडल के अवलोकन उपरांत आम सभा में उपस्थित संचालकों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। | |
| 6 | वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत। | वार्षिक आम सभा में लघु वनोपज संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु संपरीक्षण की नियुक्ति बाबत प्रस्ताव का आमसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। | वित्तीय वर्ष 2019-20 के संविधिक अंकेक्षक नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा से अनुमति उपरान्त कार्यालयीन आदेश क्रमांक 416 दिनांक 05.11.2019 से नियुक्ति आदेश जारी किया गया। |
| 7 | वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षण टीप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से पारित होकर प्राप्त होने उपरांत शुद्ध लाभ का विभाजन। | वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षण टीप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से पारित होकर प्राप्त होने उपरांत शुद्ध लाभ का विभाजन उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। | वित्तीय वर्ष 2017-18 के शुद्ध लाभ के विभाजन की साधारण सभा की बैठक दिनांक 30.09.2019 में स्वीकृति उपरांत शुद्ध लाभ की राशि रूपये 6,40,45,189.00 का विभिन्न मदों में विभाजन की कार्यवाही की गई। |
| 8 | वर्ष 2018 सीजन के तेन्दूपत्ता फड़ों एवं अस्थाई गोदाम पर हैंडलिंग एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति की राशि का अपलेखन करने बाबत। | वर्ष 2018 सीजन के तेन्दूपत्ता फड़ों एवं अस्थाई गोदाम पर हैंडलिंग एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति की राशि का अपलेखन करने बाबत जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित जगदलपुर से सम्बद्ध 3 समितियों के हानि राशि का अपलेखन संचालक मण्डल के अनुमोदन उपरांत उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। | कार्यालयीन पत्र क्रमांक 11902 दिनांक 02.12.2020 द्वारा जिला यूनियन जगदलपुर अंतर्गत प्राथमिक समिति बनियागांव 65.382, डिलमिली 29.796 एवं बस्तर 28.778 कुल 123.956 मा.बो. की क्षति की राशि रूपये 3,63,683/- के अपलेखन किये जाने की स्वीकृति दी गई है। |

| संचालक सदस्यों/प्रतिनिधियों के द्वारा निम्नानुसार सुझाव एवं मांग किया गया। | | |
|---|---|---|
| 01 | भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कक्षा 9 वीं से 12 वीं एवं आई.टी.आई. में अध्ययनरत छात्र -छात्राओं के छात्रवृत्ति योजना बन्द कर दी गई है। अतः योजना बन्द होने संबंधी पत्र जिला यूनियन एवं संचालक सदस्यों को अवगत कराया जावे। | चूंकि बीमा योजना ही बंद हो चुकी हैं, अतः अवगत कराने का कोई औचित्य नहीं है। |
| 02 | माहुल पत्ता दोना- पत्तल के विक्रय के लिए मंदिरों से समन्वय करने के संबंध में आवश्यक पहल किया जावे। | कार्यालयीन पत्र क्रमांक वनो/संघ/का.द./2020/12126 दिनांक 08.12.2020 द्वारा समस्त प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन को लेख किया गया है। |
| 03 | सुपेला भिलाई नगर की जमीन पर 8 वर्ष से संजीवनी के लिए गोदाम निर्माणाधीन है, वर्तमान में उस पर अतिक्रमण भी हो रहा है। परीक्षण कर शीघ्र कार्यवाही किया जावे। | कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ वनो/संघ/का.द./आ.उ.यो./गोदाम/2019/10502 दिनांक 06.11.2019 एवं पत्र क्रमांक/1230 दिनांक 30.01.2020 द्वारा प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन बालोद को लेख किया गया। |
| 04 | जिला यूनियन में पदस्थ 02 संदेश वाहक श्री मनोज कुमार वर्मा एवं श्री प्रेमदास मानिकपुरी कार्यरत हैं जो प्रबंधक, फड़मुंशी से थोड़े-थोड़े कार्य के लिए पैसा मांगते है। इन संदेश वाहकों का स्थानांतरण दूसरी जगह किया जावे एवं इनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे। | कार्यालयीन पत्र क्र. MFP01/01-IX/2020/स्था-01/2020/12049 दिनांक 05.12.2020 द्वारा जिला यूनियन कोरबा को शिकायत की जांच कर अपना अभिमत प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है। |
| 05 | तेन्दू पत्ता संग्राहकों के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति बढ़ाई जावे। | तेन्दूपत्ता संग्राहकों के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति राशि बढ़ाये जाने के संबंध में आमसभा को यह अवगत कराना उचित होगा, कि पूर्व से ही छात्रवृत्ति की राशि तथा कुल वितरित राशि ज्यादा है। इसे बढ़ाये जाने पर प्रोत्साहन पारिश्रमिक पर प्रभाव पड़ेगा तथा संग्रहण दर बढ़ जाने पर हानि की राशि की प्रतिपूर्ति भी प्रभावित होगी। |

| | | |
|---|---|---|
| 06 | प्रबंधकों की नियुक्ति का अधिकार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को दिया जावे। बायलॉज अनुसार कार्यवाही किया जावे। | प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम 2016 के अध्याय 2 में प्रबंधकों की भर्ती के संबंध में निर्देश दिये गये है। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में प्रबंधक की नियुक्ति की जाती है। |
| 07 | तेन्दूपत्ता संग्राहकों पुरानी चरण पादुका एवं साड़ी वितरण की योजना बन्द है। अतः इस योजना के स्थान पर पानी के वॉटल एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया जाने का सुझाव दिया गया। | शासन द्वारा चरण पादुका एवं साड़ी वितरण योजना लागू की गयी थी। अतः इसके स्थान पर अन्य उपयोगी वस्तुओं का वितरण का निर्णय शासन द्वारा लिया जाना है। |
| 08 | न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति गठित की गयी है। किसी भी जिले में समिति की बैठक नहीं हो रही है उचित कार्यवाही किया जावे। | कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ वनो/ संघ/परि/विप/2018/10504 दिनांक 06.11.2019 के द्वारा समस्त प्रबंध संचालक जिला यूनियन को निर्देश जारी किये गये है। |
| 09 | राज्य शासन की लाख विकास योजना में तेंदू पत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15 प्रतिशत राशि से लाख विकास योजना का कार्य न कराया जावे। तेन्दूपत्ते के व्यापार के आय की 15 प्रतिशत राशि से अराष्ट्रीकृत लघु वनोपज का क्रय, प्रसंस्करण एवं भण्डारण एवं मूलभूत सुविधा विकास संबंधी कार्य किया जावे। लाख पालन कार्य हेतु उन्हीं संग्राहकों को राशि उपलब्ध करायी जावे जिनके पास तेन्दू पत्ता संग्राहक कार्ड है। | छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 13-31 /2009/10-2 दिनांक 03.11. 2009 के द्वारा प्राप्त मंत्री परिषद के आदेश के तारतम्य में तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15 प्रतिशत राशि से लाख विकास योजना का कार्य संपादित किया जा रहा है। |
| 10 | तेंदू पत्ता संग्रहण वर्ष 2019 में रू. 4000 प्रति मानक बोरा संग्रहण दर राज्य शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है, तेंदू पत्ता का विक्रय में हानि हुई है, अतः संघ की शुद्ध हानि जो आम सभा की पुस्तक आय-व्यय के संक्षिप्त विवरण में अधिक्य / कमी के बिंदु क्र. 03 में संघ की शुद्ध हानि 154 करोड़ का उल्लेख है उसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन से किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जावे। | कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/ संघ/व्या/2019/9879 दिनांक 17.10.2019 से अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन वन विभाग को वर्ष 2019 के तेन्दूपत्ता पर अनुमानित हानि की प्रतिपूर्ति राशि रूपये 121 करोड़ के संबंध में लेख किया गया है। |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | जिला यूनियन के अध्यक्षों एवं सदस्यों को यात्रा दिवस में वृद्धि किया जावे तथा वाहन किराये में भी वृद्धि किया जावे। | कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। |
| 12 | जिला यूनियन अध्यक्षों एवं सदस्यों को औषधि निर्माण एवं प्रसंस्करण केन्द्र मध्यप्रदेश का निरीक्षण कराया जावें। | वर्तमान में कोविड-19 के कारण भ्रमण का कार्य नहीं किया जा रहा है। कोविड-19 के समाप्ति के पश्चात् जिला यूनियन के अध्यक्षों एवं सदस्यों को औषधि निर्माण एवं प्रसंस्करण मध्यप्रदेश का भ्रमण कराया जा सकेगा। |
| 13 | प्राथमिक समिति तमनार जिला यूनियन रायगढ़ के अंतर्गत वर्ष 2019 तेन्दू पत्ता संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान समिति में कुछ स्थानों का शेष है जिसे भुगतान की कार्यवाही की जावे। | संग्रहण वर्ष 2019 तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति तमनार में पूर्ण किया जा चुका है। |
| 14 | सचिव सहकारिता के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि संघ के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक नियमानुसार विधानसभा के सूचना पटल में रखा जावे। | संघ के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक को आगामी विधानसभा के सूचना पटल पर रखने की कार्यवाही की जा रही है। |

20वीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.09.2019 हेतु प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन की पुष्टि आमसभा द्वारा की गई। तदुपरान्त माननीय अध्यक्ष द्वारा आगे की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

--- 000 ---

## विषय क्रमांक - 2

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में किये गये कार्यों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।**

**(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना**

संघ के विभिन्न स्तर संघ मुख्यालय, मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महा प्रबंधक कार्यालय तथा जिला यूनियन कार्यालयों में दिनांक **01.12.2020** की स्थिति में स्वीकृत पद तथा कार्यरत पदों की संख्या संलग्न **परिशिष्ट-क** पर दर्शाया गया है।

**(ii) तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु बीमा योजनायें:-**

(क) **शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजनाः-** तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना दिनांक 05.08.2020 से संचालित की गई है । इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति / उत्तराधिकारी को राशि रू. 2.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रू. 2.00 लाख अतिरिक्त रूप से प्रदाय किया जाएगा। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तुता की स्थिति में राशि रू. 2.00 लाख तथा आंशिक निःशक्तुता की स्थिति में राशि रू. 1.00 लाख की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदुपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाएगी।

(ख) तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामाकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रू. 30,000/- तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर रू. 75,000/- की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी । दुर्घटना में पूर्ण निःशक्तुता की स्थिति में रू. 75,000/- तथा आंशिक निःशक्तुता की स्थिति में रू. 37,500/- की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदुपत्ता संग्राहक को प्रदाय की जायेगी।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 50 प्रतिशत की राशि छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन किया जावेगा।

(ग) **सामूहिक सुरक्षा योजना (संघ द्वारा संचालित)**

वर्ष 2020-21 हेतु सामूहिक सुरक्षा योजना का संचालन छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से किया जा रहा है। संघ संचालित सामूहिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मृतक तेंदूपत्ता संग्राहक के परिवार के मुखिया (दावेदार) को रूपये 12,000/- भुगतान किया जाता है, माह नवम्बर 2020 तक 20 जिला यूनियनों के 221 हितग्राहियों को राशि रू.26,52,000.00 का भुगतान किया जा चुका है।

(घ) **संघ द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं-**

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे मेघावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू है।

- **मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु** -

मेघावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार के तहत् प्रत्येक प्राथमिक वनोपज समिति क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 2500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 3000/- पुरस्कार राशि दी जाती है। यह पुरस्कार समिति क्षेत्र के अंतर्गत एक छात्र तथा एक छात्रा को प्रदान की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में 2741 छात्र/छात्राओं हेतु रू. 75,05,000.00 राशि वितरित किया गया है।

- **प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं हेतु-**

तेंदूपत्ता संग्राहकों के प्रतिभाशाली बच्चों जिन्होंने 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये है, उनको कक्षा 10वी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रूपये 15,000/- तथा कक्षा 12वी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रू. 25,000/- शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया जाता है। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में 4702 छात्र/छात्राओं हेतु रू. 8,04,10,000.00 राशि वितरित किया गया है।

- **व्यसायिक एवं गैर-व्यवसायिक छात्रवृत्ति योजनाः-**

31 अक्टूबर 2020 में महाविद्यालय मे भर्ती पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा रही है। भुगतान प्रगति पर है।

(ङ.) **प्राथमिक समितियों के प्रबंधकों एवं फड़ मुंशियों का समूह बीमा -**

* **प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों समूह बीमाः-**

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 से बीमा कराया गया है। वर्ष 2020-21 में बीमित प्रबंधकों की संख्या 835 है।

* **प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के फॅड़मुंशीयों का समूह बीमाः-**

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता फॅड़मुंशीयों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 से बीमा कराया गया है। वर्ष 2020-21 में बीमित फॅड़मुंशीयों की संख्या 9653 है।

## (iii) तेन्दू पत्ते का व्यापार

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2018 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 902 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 951 लाट बनाये गये है, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.717 लाख मानक बोरा में से 784 लाटों की 13.921 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रु. 792.94 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 5696/- प्रति मानक बोरा है। शेष अविक्रित 167 लाटों की अधिसूचित मात्रा 2.796 लाख मानक बोरा का अग्रिम विक्रय नहीं हो सका। वर्ष 2018 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 2500/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई।

जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 784 लाटों में से 7 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार 777 लाटों में 12.727 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रू. 719.33 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रू. 5652/- प्रति मानक बोरा रहा। अविक्रित 167 लाटों में से 28 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार 139 लाटों में 2.073 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया। भण्डारित लाटों में से 132 लाटों की 1.960 लाख मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 24.85 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रू. 1267/- प्रति मानक बोरा रहा। कुल 14.846 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का संग्रहण हुआ। संग्रहण वर्ष 2018 के तेन्दू पत्ते के निर्वर्तन में विक्रित लाटों का जिला यूनियनवार विवरण **परिशिष्ट-ख** में संलग्न है।

विभागीय संग्रहित एवं भण्डारित अनिर्वर्तित तेन्दू पत्ते की 7 लाटों की 0.113 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ते के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2019 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 902 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 954 लाट बनाये गये है, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.717 लाख मानक बोरा में से 580 लाटों की 9.759 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रु. 526.32 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 5393/- प्रति मानक बोरा है। शेष अविक्रित 374 लाटों की अधिसूचित मात्रा 6.958 लाख मानक बोरा का अग्रिम विक्रय नहीं हो सका। वर्ष 2019 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई।

जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 580 लाटों में से 1 लाट में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार 579 लाटों में 9.355 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रू. 502.65 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रू. 5373/- प्रति मानक बोरा रहा। अविक्रित 374 लाटों एवं क्रेता करारनामा निष्पादित नहीं किया गया 1 लाट, कुल 375 लाटों में से 5 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार 370 लाटों में 5.658 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया। भण्डारित लाटों में से 323 लाटों की 4.981 लाख मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 259.32 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रू. 5206/- प्रति मानक बोरा रहा। कुल 15.053 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का संग्रहण हुआ। संग्रहण वर्ष 2019 के तेन्दू पत्ते के निर्वर्तन में विक्रित लाटों का जिला यूनियनवार विवरण **परिशिष्ट-ग** में संलग्न है।

विभागीय संग्रहित एवं भण्डारित अनिर्वर्तित तेन्दू पत्ते की 47 लाटों की 0.677 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ते के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2020 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 902 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 954 लाट बनाये गये है, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.717 लाख मानक बोरा में से 639 लाटों की 11.077 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रु. 571.71 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 5161/- प्रति मानक बोरा है। शेष अविक्रित 315 लाटों की अधिसूचित मात्रा 5.640 लाख मानक बोरा अग्रिम विक्रय नहीं हो सका। वर्ष 2020 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई।

जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 639 लाटों में से 2 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ तथा 3 लाटों हेतु क्रेता करारनामा निष्पादित नहीं किया गया, 634 लाटों में 7.717 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रू. 400.98 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रू. 5196/- प्रति मानक बोरा रहा। अविक्रित 315 लाटों एवं क्रेता करारनामा निष्पादित नहीं किये गये 3 लाटों सहित कुल 318 लाटों में से 24 लाटों में संग्रहण नहीं इस प्रकार 294 लाटों में 1.991 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया। भण्डारित लाटों में से 89 लाटों की 0.647 लाख मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 40.76 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रू. 6299/- प्रति मानक बोरा रहा। कुल 9.728 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का संग्रहण हुआ। संग्रहण वर्ष 2020 के तेन्दू पत्ते के निर्वर्तन में विक्रित लाटों का जिला यूनियनवार विवरण **परिशिष्ट-घ** में संलग्न है।

विभागीय संग्रहित एवं भण्डारित अनिर्वर्तित तेन्दू पत्ते की 205 लाटों की 1.344 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ते के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है।

### (iv) तेन्दू पत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2018 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरान्त प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रूपये 233.02 करोड़ का संग्राहकों को सीधे उनके बैंक खाते में NEFT के मध्यम से वितरण किया जा रहा है। संग्रहण वर्ष 2018 में जिला यूनियनवार प्रोत्साहन पारिश्रमिक की वितरण योग्य, वितरित एवं वितरण से शेष का विवरण **परिशिष्ट-ड.** के संलग्न है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2019 के तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से शासन से अनुमोदन उपरांत लगभग राशि रूपये 61.31 करोड़ का तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया जावेगा।

## (v) प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों के पारिश्रमिक में वृद्धि -

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मानदेय दिनांक 01.11.2017 से रूपये 12,500/- प्रतिमाह किया गया है। प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधको के पारिश्रमिक में वृद्धि हेतु माननीय मुख्यमंत्री छ.ग.शासन द्वारा की गई जनघोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 12.10.2020 में बिन्दु क्रमांक (06) में पारित निर्णय के पालन में तेन्दूपत्ता प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा दिये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालयीन पत्र क्रमांक/MFP08/08-04/04-02-2020/11181 नवा रायपुर, दिनांक 13/11/2020 द्वारा छ.ग.शासन वन विभाग को प्रेषित किया गया है।

## (vi) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण

संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियन स्तर पर लेखा संधारण का कार्य "टैली साफ्टवेयर" के माध्यम से किया जा रहा है। लेखाओं के कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की बचत तो हुई है साथ ही लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ है। संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 का लेखांकन कार्य "टैली साफ्टवेयर" के माध्यम से पूर्ण किया गया है। इस प्रकार वनोपज संघ लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन हैं। प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की कार्यक्षमता बढ़ाने एवं प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से चरणबद्ध तरीके से उनका कम्प्यूटाराइजेशन शीघ्र शुरु किया जा रहा है।

## (vii) संघ विभाजन संबंधी विवाद

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की स्थिति में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात्‌वर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ हैं। उक्त विभाजन में अस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वित नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रूपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विविध याचिका क्रमांक 4958/2008 दायर की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अंतिम निर्णय हेतु माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 16.04.2020 नियत थी परंतु कोविड-19 के कारण न्यायालय बंद था। आगामी पेशी तिथि अप्राप्त है।

## (viii) बैंकिंग व्यवस्था में सुधार

वनोपज के क्रेताओं को देश के किसी भी स्थान से विक्रय मूल्य एवं देय राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से ई-मनी ट्रान्सफर की व्यवस्था लागू की गई है। यह सुविधा संघ के भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं आई.सी.आई.सी.आई बैंक के खातों में

उपलब्ध है। इस सुविधा के अतिरिक्त लघु वनोपज संघ द्वारा पूर्व प्रक्रिया अनुसार जारी की जा रही मनी रसीद के अतिरिक्त नई प्रक्रिया के अनुसार आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमि. के माध्यम से ऑनलाइन मनी रसीदें जारी की जाने हेतु व्यवस्था दिनांक 05.05.2014 से लागू की गई है।

संघ द्वारा की गई पहल के कारण अब लघुवनोपज विक्रय से संबंधी सभी कार्य पूर्णतः पारदर्शी, सुलभ एवं द्रुत हो गये हैं। इससे क्रेताओं का संघ के प्रति दृष्टिकोण अच्छा हुआ है एवं प्रशासन में कसावट आई है। इसी प्रकार क्रेताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रान्सफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुए अब सभी जिला यूनियनों द्वारा क्रेताओं द्वारा जमा कराई गई राशि कोर बैंकिंग के माध्यम से सीधे संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खातें में जमा कराई जा रही है।

जिला यूनियनों के कार्यों के संपादन हेतु पंजाब नेशनल बैंक रायपुर के सेन्ट्रल पी.एन.बी फण्ड मैनेजमेण्ट (एफ मोड्यूल) योजना के तहत् सेन्ट्रल खाता खोला गया है एवं इसी खाते की आई.डी. सहित समस्त जिला यूनियनों के मुख्यालय पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा में जिला यूनियनों के शून्य बैलेंस खातें खोले गये हैं। जिसके परिचालन के अधिकार भी प्रबंध संचालक जिला यूनियन को दिये गए हैं। इस व्यवस्था के तहत प्रति जिला यूनियन हेतु संघ पत्र क्रमांक/वनो./संघ/वित्त/2018/15130 रायपुर दिनांक 05.11.2018 द्वारा स्थापना प्रशासनिक व अन्य व्यय के मासिक आहरण सीमा का निर्धारण किया गया है। जिला यूनियन के शेष आवश्यक व्ययों के भुगतान हेतु उनकी मांग अनुसार पृथक से आहरण एवं भुगतान की अनुमति दी जाती हैं।

इसी प्रकार समस्त जिला यूनियनों के संघ मुख्यालय के पंजाब नेशनल बैंक शाखा में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु शून्य बैलेंस पर खाते खोले गये हैं। उक्त खाते से जिला यूनियनों द्वारा प्रतिदिन अधिकतम राशि रूपये 2.00 लाख का आहरण / भुगतान किया जा सकता है।

## (ix) छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज सहकारी संघ का संचालक मण्डल

वर्ष 2016 में दिनांक 18.04.2016, 20.04.2016 एवं 26.04.2016 को प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों का निर्वाचन सम्पन्न हुआ एवं जिला लघुवनोपज सहकारी यूनियनों में दिनांक 01.08.2016 को निर्वाचन पूर्ण कर संचालक मण्डल का गठन किया गया है। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के संचालक मण्डल का निर्वाचन दिनांक 03.11.2016 को पूर्ण कर निम्नानुसार निर्वाचित घोषित किया गयाः-

| क्रमांक | प्रतिनिधि का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1 | श्री भरत साय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर | अध्यक्ष |
| 2 | श्री टीकम टॉडिया, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर | उपाध्यक्ष |
| 3 | कु.समीरा पैकरा, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर | संचालक |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | श्रीमती सुशीला बाई, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर | संचालक |
| 5 | श्री कपूरचंद बिसाई, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर | संचालक |
| 6 | श्री यज्ञदत्त शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर | संचालक |

प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों का कार्यकाल दिनांक 18.04.2021, 20.04.2021 एवं 26.04.2021 को समाप्त हो रहा है। तीन चरणों में राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराये जाने के संबंध में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा चुका है एवं जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियनों में दिनांक 01.08.2021 एवं संघ के निर्वाचित संचालको का दिनांक 03.11.2021 को कार्यकाल समाप्त होगा एवं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 50(ख) की तहत राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराया जावेगा।

**(x) अकाष्ठीय वनोपज विकास**

**1. लघु वनोपज संग्रहण**

**1.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना** -

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित लघु वनोपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना वर्ष 2014-15 से राज्य में लागू की गई है। इस योजनांतर्गत लघु वनोपज व्यापार हेतु वर्ष 2014-15 से अभी-तक रू. 204.91 करोड़ राशि संघ को प्राप्त हुई है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि भारत शासन द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

योजना के प्रारंभ में 7 प्रकार के लघु वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्तमान वर्ष 2020-21 में 38 प्रकार के वनोपज को क्रय करने हेतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त हुई है।

**1.2 तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त लाभांश का 15 प्रतिशत राशि** -

इस राशि से लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा लाख पालन को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति पूर्व से प्राप्त है। इस राशि की सहायता से ऐसे लघु वनोपज, जिस हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वीकृत नहीं है, का संग्रहण एवं प्रसंस्करण किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज संग्राहकों को लाभ देने हेतु 38 प्रकार के लघु वनोपज को भारत शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तथा 14 प्रकार के अन्य वनोपज को उचित दर पर इस तरह कुल 52 प्रकार के लघु वनोपज के क्रय हेतु व्यवस्था की गई है। वर्ष 2020 में आज दिनांक तक लगभग रू. 130 करोड़ मूल्य के वनोपज का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने संपूर्ण देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये लघु वनोपज में से 77 प्रतिशत मूल्य के वनोपज का संग्रहण कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

## लघु वनोपज सूची

| क्र. | वनोपज का नाम | भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर (रू. प्रति कि.ग्रा.) | न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि / कमी का प्रस्ताव | छ.ग. शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रू. प्रति कि.ग्रा.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | | न्यूनतम समर्थन मूल्य | | |
| 1 | इमली बीज सहित | 36.00 | - | 36.00 |
| 2 | महुआ बीज | 29.00 | - | 29.00 |
| 3 | कालमेघ | 35.00 | - | 35.00 |
| 4 | नागरमोथा | 30.00 | - | 30.00 |
| 5 | बेलगुदा | 30.00 | - | 30.00 |
| 6 | शहद | 225.00 | - | 225.00 |
| 7 | फूल झाडू | 50.00 | - | 50.00 |
| 8 | महुआ फूल (सूखा) | 30.00 | - | 30.00 |
| 9 | जामुन बीज (सूखा) | 42.00 | - | 42.00 |
| 10 | कौंच बीज | 21.00 | - | 21.00 |
| 11 | धवई फूल (सूखा) | 37.00 | - | 37.00 |
| 12 | करंज बीज | 22.00 | - | 22.00 |
| 13 | बायबडिंग | 94.00 | - | 94.00 |
| 14 | आंवला (बीज रहित) | 52.00 | - | 52.00 |
| 5 | फूल इमली (बीज रहित इमली) | 63.00 | - | 63.00 |
| 16 | सालबीज | 20.00 | - | 20.00 |
| 17 | चिरौंजी गुठली | 126.00 | - | 126.00 |
| 18 | हर्रा | 15.00 | - | 15.00 |
| 19 | बहेड़ा | 17.00 | - | 17.00 |
| 20 | पुवाड़ (चरौटा बीज) | 16.00 | - | 16.00 |
| 21 | गिलोय | 40.00 | - | 40.00 |
| 22 | भेलवा | 09.00 | - | 09.00 |
| 23 | कुसुमी लाख | 275.00 | रू. 25 प्रति कि.ग्रा. की वृद्धि | 300.00 |
| 24 | रंगीनी लाख | 200.00 | रू. 20 प्रति कि.ग्रा. की वृद्धि | 220.00 |
| 25 | कुल्लू गोंद | 114.00 | रू. 11 प्रति कि.ग्रा. की वृद्धि | 125.00 |
| 26 | वन तुलसी बीज | 16.00 | -- | 16.00 |
| 27 | वन जीरा बीज | 70.00 | -- | 70.00 |
| 28 | इमली बीज | 11.00 | -- | 11.00 |
| 29 | बहेड़ा कचरिया | 20.00 | -- | 20.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | हर्रा कचरिया | 23.00 | रू. 2.00 प्रति कि. ग्रा.की वृद्धि | 25.00 |
| 31 | नीम बीज | 27.00 | -- | 27.00 |
| 32 | कुसुम बीज | 23.00 | -- | 23.00 |
| 33 | रीठा फल (सूखा) | 14.00 | -- | 14.00 |
| 34 | शिकाकाई फल्ली (सूखा) | 50.00 | -- | 50.00 |
| 35 | सतावर जड़ (सूखा) | 107.00 | -- | 107.00 |
| 36 | काजू गुठली | 90.00 | -- | 90.00 |
| 37 | मालकांगनी बीज | 100.00 | -- | 100.00 |
| 38 | माहुल पत्ता | 15.00 | -- | 15.00 |
| संघ द्वारा निर्धारित दर पर | | | | |
| 1 | पलाश फूल | 10.00 | - | 10.00 |
| 2 | सफेद मूसली (सूखा) | 650.00 | - | 650.00 |
| 3 | इन्द्रजौ | 150.00 | - | 150.00 |
| 4 | पताल कुम्हड़ा | 30.00 | - | 30.00 |
| 5 | कुटज | 11.00 | - | 11.00 |
| 6 | अश्वगंधा | 325.00 | - | 325.00 |
| 7 | आंवला (कच्चा) | 28.00 | - | 28.00 |
| 8 | सवई घास | 14.00 | - | 14.00 |
| 9 | कांटा झाडू | 23.00 | - | 23.00 |
| 10 | तिखुर | 25.00 | - | 25.00 |
| 11 | बीहन लाख -कुसुमी | 300.00 | - | 300.00 |
| 12 | बीहन लाख -रंगीनी | 220.00 | - | 220.00 |
| 13 | बेल (कच्चा) | 10.00 | - | 10.00 |
| 14 | जामुन (कच्चा) | 23.00 | - | 23.00 |

## 2. लघु वनोपज प्रसंस्करण

**2.1. प्रधानमंत्री वन-धन योजना** - लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु राज्य में 139 वन-धन विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री वन-धन योजनांतर्गत प्रत्येक केंद्र के लिये रूपये 15.00 लाख अनुदान राशि भारत शासन से प्राप्त हुआ है। उक्त योजनांतर्गत स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण, उपकरण व्यवस्था, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण हेतु चक्रीय राशि का प्रावधान किया गया है।

संघ द्वारा संग्रहित वनोपज को प्राथमिक प्रसंस्करण / प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये राज्य में 139 वन-धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से 103 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार कर **"छत्तीसगढ़ हर्बल्स"** नाम पर संजीवनों केंद्रों द्वारा विक्रय किये जा रहे हैं। उक्त कार्य से लगभग 13900 महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं।

**2.2 लघु वनोपज प्रसंस्करण** - राज्य में लघु वनोपज को वृहद स्तर पर प्रसंस्करण करने हेतु राज्य के पाटन क्षेत्र में एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जा रही है, जहाँ

विभिन्न प्रकार के लघु वनोपज आधारित उत्पाद वृहद स्तर पर तैयार किये जावेंगे । इसी प्रकार दंतेवाड़ा जिले में निवासरत ग्रामीणों के उत्थान के लिये वहॉ एक क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई स्थापना प्रस्तावित है। इस प्रकार लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा देते हुये ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार का अवसर दिया जावेगा। इकाईयों की स्थापना केंद्र शासन से प्राप्त एकमुश्त केंद्रीय सहायता में उपलब्ध राशि, ट्रायफेड योजना तथा 15 प्रतिशत की राशि से किया जावेगा।

3. **लघु वनोपज विपणन** - न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से संग्रहित लघु वनोपज को ऑनलाईन निविदा के माध्यम से विक्रय किया जाता है। राजकीय वनोपज व्यापार के अंतर्विभागीय समिति के निर्णय के अनुसार सीमित वनोपज को निश्चित दर पर भी विक्रय किया जाता है। संघ द्वारा स्थापित वन-धन विकास केंद्रों तथा प्रसंस्करण इकाईयों के माध्यम से निर्मित हर्बल उत्पादों को रिटैल मार्केटिंग करने हेतु डिस्ट्रीब्यूटर आदि की नियुक्ति कार्यवाही जारी है।

4. **अनुसंधान एवं विस्तार** - राज्य में उत्पादित विभिन्न प्रकार के लघु वनोपज प्रसंस्करण आदि हेतु ख्याति प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के साथ अनुबंध किया जा रहा है। महुआ आधारित उत्पाद संबंधी अनुसंधान कार्य हेतु CFTRI मैसूर से अनुबंध किया गया है। इसी प्रकार लाख प्रसंस्करण संबंधी तकनीकी विकास के लिये अनुसंधान हेतु IIT कानपुर से अनुबंध किया जावेगा। लघु वनोपज संबंधी प्रसंस्करण, तकनीकी हस्तांतरण आदि विषयों पर Indian Council of Agricultural Research के साथ अनुबंध किया जावेगा।

5. **छत्तीसगढ़ राज्य में वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना** - संघ द्वारा स्वीकृत उक्त परियोजना अंतर्गत लघु वनोपज प्रसंस्करण, भण्डारण, हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा, अनुसंधान विस्तार, सुचना प्रबंधन प्रणाली तथा हितग्राहियों का क्षमता विकास आदि कार्य प्रस्तावित है।

6. **लाख पालन**- छत्तीसगढ़ राज्य में 50 हजार लाख कृषकों द्वारा लगभग 4000 टन लाख का उत्पादन प्रति वर्ष होता है, इससे लगभग रूपये 100 करोड़ का आय ग्रामीणों को प्राप्त होता है। आगामी 03 वर्ष में लाख उत्पादन 4000 टन से बढ़ाकर 10,000 टन वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। इस हेतु लाख पालन को कृषि समतुल्य मानते हुये लाख पालन के लिये बिना किसी ब्याज के फसल ऋण, फसल बीमा सुविधा देने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त बीहन लाख उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था की जा रही है। लाख कृषकों को वैज्ञानिक खेती अपनाने हेतु लाख उत्पादन क्षेत्र में लाख फेसिलिटेटर को प्रशिक्षित कर उपयोग करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुसुमी लाख को रू. 300/- प्रति कि.ग्रा. तथा रंगीनी लाख को रू. 225/- पर क्रय करते हुये 20 क्षेत्रीय संयत्रों द्वारा क्रय किये गये छीली लाख को प्रसंस्कृत करते हुये सीड लाख तैयार कर विक्रय करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त कार्य द्वारा लाख पालन में वृद्धि के साथ ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा।

7. **लघु वनोपज समूह क्षेत्र संवर्द्धन एवं औषधि खेती** -

चयनित जिला यूनियनों में लघु वनोपज से समृद्ध 5000 हेक्ट. वन क्षेत्र कों लोक संरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु चयन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 1000 हेक्ट. आगामी 5 वर्ष तक उपचार किया जायेगा। इस प्रकार 20 जिला यूनियनों में

5000 हेक्ट. के मान से कुल 1 लाख हेक्ट. वन क्षेत्र का संवर्धन किया जाना प्रस्तावित है। इस वनक्षेत्र के अंतर्गत विलुप्त कगार पर तथा अधिक मांग वाले वनोपज / औषधि प्रजातियों का एनरिचमेंट प्लांटिंग (Enrichment Planting) द्वारा वृहद रूप से रोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु नरेगा, कैम्पा, डी.एम.एफ आदि से लाभ लिया जा सकता है।

कृषि वानिकी द्वारा महत्वपूर्ण लघु वनोपज तथा औषधिय प्रजातियों को कलस्टर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे गैर वनक्षेत्र से भी पर्याप्त मात्रा में लघु वनोपज/औषधि का उत्पादन हो सके। इसके साथ उपरोक्त कार्य वन अधिकार पत्र प्राप्त कृषकों के इच्छुक होने की स्थिति में उपरोक्त योजना में सम्मिलित कर सकते हैं। यह कार्य लोक संरक्षित क्षेत्र योजनांतर्गत संपादित किया जाना प्रस्तावित हैं।

8. **उद्यमिता विकास** - राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत राज्य में लघु वनोपज आधारित नवीन उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु प्रावधान किया गया है। उक्त उद्योग को बढ़ावा देने हेतु संघ में Enterpreneurship Development Cell स्थापित किया जावेगा।

9. **अधोसंरचना विकास** - राज्य में लघु वनोपज भंडारण हेतु विभिन्न स्थानों पर गोदाम तथा अन्य अधोसंरचना निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त अधोसंरचना हेतु विभिन्न योजनाओं के साथ संघ योजनाओं का लाभ लिया जावेगा।

10. **विपणन (हर्बल उत्पाद/वनोपजों के विक्रय को बढ़ावा देने हेतु डिस्ट्रीब्यूटर की नियुक्ति)**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लघु वनोपजों का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ अंतर्गत विपणन हेतु कुल 28 संजीवनी विक्रय केन्द्र एवं 6 NWFP मार्ट संचालित हो रहे है जिनके माध्यम से कुल 105 प्रकार के हर्बल उत्पादों का विक्रय हो रहा है। वर्ष 2019-20 में कुल राशि रू.124.48 लाख मूल्य के उत्पादों का विक्रय संजीवनी एवं मार्ट के माध्यम से किया गया है। आगामी वर्षो में विक्रय में वृद्धि करने हेतु एवं बाजार के सभी दुकानों में अपनी पहुंच बनाने हेतु छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किया जा रहा है। इसके माध्यम से संजीवनी का भी संचालन किया जायेगा। जिससे हमारे उत्पादों के विक्रय में वृद्धि होने की संभावना है।

11. **CFTRI मैसूर से महुआ फूल आधारित उत्पादों का तकनीकी हस्तांतरण -**

छ.ग. लघु वनोपज संघ द्वारा 2.65 लाख क्विंटल महुआ फूल का क्रय कर संग्रहण किया जा चुका है। संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने एवं महुआ फूल का मूल्यवर्द्धन करने हेतु इसका प्रसंस्करण कार्य किया जाना आवश्यक है। इस हेतु सेन्ट्रल फुड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन्सटिट्यूट, मैसूर के माध्यम से महुआ फूल आधारित उत्पादों का तकनीकी हस्तांतरण किया जा रहा है। महुआ ऐनर्जीबार, महुआ लड्डु, महुआ जेम, महुआ कैण्डी, महुआ आर.टी.एस., महुआ जेगरी (गुड़) उत्पादों का चयन तकनीकी हस्तांतरण हेतु किया गया है। वर्तमान में CFTRI द्वारा 06 प्रकार के महुआ एनर्जी बार के सैम्पल प्रेषित किया गया है, जिनमें से 03 का चयन कर लिया गया है एवं अन्य उत्पादों का विकास CFTRI द्वारा किया जा रहा है।

## 12. राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन

लघु वनोपज आधारित विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक वृहद कार्य योजना तैयार कर, स्व सहायता समूहों के माध्यम से लघु वनोपज क्रय विक्रय एवं प्रसंस्करण कार्य किया जा रहा है। कार्य योजना में प्रस्तावित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक **"राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई"** गठन किया है। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई हेतु First IIT कानपुर एवं छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर के बीच में एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए है। इस हेतु कुल 07 सदस्यी दल का गठन किया गया है। वर्तमान में कुल 02 सदस्य राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को ज्वाईन कर चुके है एवं शेष 05 सदस्य की ज्वाईनिंग प्रक्रियाधीन है। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई गठन हेतु संघ द्वारा ट्रायफेड को प्रेषित की जाने वाली वार्षिक क्रय योजना में विस्तृत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। वर्तमान में उक्त की स्वीकृति प्राप्त नही हुई है। इस हेतु स्वीकृति की प्रत्याशा में उक्त कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत संघ को प्राप्त होने वाली 2 प्रतिशत सेवा शुल्क में भारित की जावेगी।

--- 000 ---

# परिशिष्ट – क

## स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण 01.12.2020 की स्थिति में

| अ.क. | पदनाम | संघ मुख्यालय के पद | | | वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के पद | | | जिला यूनियन के पद | | | कुल योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | महा प्रबंधक (वन संरक्षक) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | उप महा प्रबंधक (उप वनसंरक्षक) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | सचिव (संयुक्त पंजीयक) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | प्रबंधक वित्त (उप संचालक) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | प्रबंधक (प्रणाली) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | प्रबंधक लेखा | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | उप प्रबंधक (स.व.सं.) | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 5 | 25 | 38 | 7 | 31 |
| 10 | उप प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | स्टाफ आफिसर | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | सहायक लेखाधिकारी | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | निज सहायक/निज सचिव | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | वरिष्ठ शीघ्रलेखक | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | प्रोग्रामर | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | वन क्षेत्रपाल | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 11 | 5 | 6 |
| 17 | उप वन क्षेत्रपाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 148 | 32 | 180 | 148 | 32 |
| 18 | सहायक प्रोग्रामर | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | कर सहायक | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | आंतरिक अंकेक्षण | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | शीघ्रलेखक | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | अधीक्षक | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | लेखा अधीक्षक | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 24 | वरिष्ठ लेखापाल | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | लेखापाल | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 27 | 19 | 8 | 37 | 27 | 10 |
| 26 | कनिष्ट लेखापाल | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 28 | 21 | 7 |
| 27 | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | 7 | 8 | -1 | 6 | 6 | 0 | 31 | 26 | 5 | 44 | 40 | 4 |
| 28 | आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | रिक्त | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | टेक्सानामिस्ट | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | सहायक वर्ग-3/स्वागतकर्ता | 21 | 13 | 8 | 6 | 6 | 0 | 61 | 31 | 30 | 88 | 58 | 38 |
| 31 | वाहन चालक | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 11 | 8 | 34 | 23 | 11 |
| 32 | दफ्तरी | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | संदेशवाहक | 17 | 9 | 8 | 12 | 9 | 3 | 48 | 28 | 20 | 77 | 46 | 31 |
| 34 | संदेशवाहक (सांख्येतर) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 7 | 37 | 30 | 0 |
| 35 | चौकीदार (कलेक्टर दर) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | योगः- | 108 | 69 | 39 | 39 | 32 | 7 | 464 | 320 | 144 | 611 | 427 | 185 |

महा प्रबंधक

# जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित एवं विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2018

| जिला यूनियन का नाम | कुल लाटों की संख्या | लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है | कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में) | कुल भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण | | | | विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण | | | | अविक्रित लाटों का विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | लाटों की संख्या | अग्रिम में विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | विक्रय मूल्य | औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा) | लाटों की संख्या | विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | विक्रय मूल्य | औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा) | लाटों की संख्या | अविक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| बीजापुर | 45 | 41 | 76951.818 | 76884.609 | 40 | 75763.444 | 430079273.78 | 5676.61 | 1 | 1121.165 | 2578680.00 | 2300.00 | 0 | 0.000 |
| सुकमा | 48 | 20 | 36289.788 | 35912.868 | 11 | 22180.958 | 95409481.62 | 4301.41 | 9 | 13731.910 | 13536989.00 | 985.81 | 0 | 0.000 |
| दंतेवाड़ा | 8 | 7 | 13254.414 | 13254.315 | 3 | 8432.490 | 38053043.31 | 4512.67 | 1 | 3675.305 | 5068246.00 | 1379.00 | 3 | 1146.520 |
| जगदलपुर | 15 | 15 | 24454.918 | 24325.822 | 12 | 21140.847 | 81315808.06 | 3846.38 | 3 | 3184.975 | 3321090.00 | 1042.74 | 0 | 0.000 |
| दक्षिण कोंडागांव | 11 | 11 | 21704.813 | 21704.813 | 7 | 14753.977 | 55071069.33 | 3732.63 | 4 | 6950.836 | 2861478.00 | 411.67 | 0 | 0.000 |
| केशकाल | 16 | 16 | 31439.248 | 30763.290 | 11 | 20904.320 | 82564683.23 | 3949.65 | 4 | 6579.785 | 7957004.00 | 1209.31 | 1 | 3279.185 |
| नारायणपुर | 12 | 12 | 22357.805 | 22357.805 | 5 | 10591.490 | 43081541.21 | 4067.56 | 5 | 6680.290 | 14079055.00 | 2107.55 | 2 | 5086.025 |
| पूर्व भानुप्रतापपुर | 56 | 56 | 94510.205 | 92774.338 | 27 | 43501.285 | 236007042.49 | 5425.29 | 29 | 49273.053 | 65823443.00 | 1335.89 | 0 | 0.000 |
| पश्चिम भानुप्रतापपुर | 55 | 53 | 73952.665 | 73202.740 | 18 | 28640.810 | 135800209.92 | 4741.49 | 35 | 44561.930 | 70402459.00 | 1579.88 | 0 | 0.000 |
| कांकेर | 24 | 24 | 33724.938 | 33683.443 | 22 | 31703.225 | 186299961.25 | 5876.37 | 2 | 1980.218 | 821298.00 | 414.75 | 0 | 0.000 |
| राजनांदगांव | 51 | 51 | 74866.980 | 74620.570 | 43 | 64113.205 | 329235830.75 | 5135.23 | 8 | 10507.365 | 20592359.00 | 1959.80 | 0 | 0.000 |
| खैरागढ़ | 24 | 24 | 34703.205 | 34476.310 | 12 | 14027.415 | 59502306.24 | 4241.86 | 11 | 18638.405 | 13581740.00 | 728.70 | 1 | 1810.490 |
| बालोद | 18 | 18 | 22179.300 | 22179.300 | 18 | 22179.300 | 146071070.75 | 6585.92 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| कवर्धा | 24 | 24 | 42242.910 | 42216.370 | 18 | 31900.010 | 171993668.94 | 5391.65 | 6 | 10316.360 | 7760028.00 | 752.21 | 0 | 0.000 |
| धमतरी | 23 | 23 | 28394.805 | 28394.805 | 23 | 28394.805 | 159966441.67 | 5633.65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| गरियाबंद | 62 | 62 | 79802.435 | 79539.825 | 55 | 71137.480 | 473823909.09 | 6660.68 | 7 | 8402.345 | 10672350.00 | 1270.16 | 0 | 0.000 |
| महासमुंद | 69 | 69 | 82002.970 | 82002.970 | 69 | 82002.970 | 540669206.74 | 6593.29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| बलौदा बाजार | 16 | 16 | 21289.990 | 21289.680 | 15 | 20408.870 | 132451690.75 | 6489.91 | 1 | 880.810 | 898427.00 | 1020.00 | 0 | 0.000 |
| बिलासपुर | 21 | 21 | 29489.110 | 29489.110 | 21 | 29489.110 | 173447145.81 | 5881.74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| मरवाही | 14 | 14 | 18089.329 | 18089.329 | 14 | 18089.329 | 109841041.31 | 6072.15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| जांजगीर-चांपा | 7 | 7 | 9695.075 | 9667.255 | 3 | 2105.500 | 8955131.86 | 4253.21 | 4 | 7561.755 | 6996733.00 | 925.28 | 0 | 0.000 |
| रायगढ़ | 41 | 41 | 55257.875 | 55257.875 | 41 | 55257.875 | 331649723.40 | 6001.85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| धरमजयगढ़ | 53 | 53 | 74036.225 | 74036.225 | 53 | 74036.225 | 524990903.65 | 7091.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| कोरबा | 34 | 34 | 48430.995 | 48430.995 | 33 | 47385.645 | 353929032.57 | 7469.12 | 1 | 1045.350 | 470408.00 | 450.00 | 0 | 0.000 |
| कटघोरा | 39 | 39 | 65129.395 | 65129.395 | 38 | 64193.615 | 450087677.00 | 7011.41 | 1 | 935.780 | 1029358.00 | 1100.00 | 0 | 0.000 |
| जशपुर नगर | 20 | 20 | 38433.680 | 38433.680 | 20 | 38433.680 | 190673601.35 | 4961.11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| जिला यूनियन का नाम | कुल लाटों की संख्या | लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है | कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में) | कुल भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण | | | | विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण | | | | अविक्रित लाटों का विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | लाटों की संख्या | अग्रिम में विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | विक्रय मूल्य | औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा) | लाटों की संख्या | विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | विक्रय मूल्य | औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा) | लाटों की संख्या | अविक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| मनेन्द्रगढ़ | 20 | 20 | 39477.715 | 39477.715 | 20 | 39477.715 | 210577872.05 | 5334.09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| कोरिया | 16 | 16 | 35855.490 | 35855.490 | 16 | 35855.490 | 203028026.56 | 5662.40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सरगुजा | 15 | 15 | 33595.225 | 33595.225 | 15 | 33595.225 | 179293174.66 | 5336.86 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| बलरामपुर | 64 | 64 | 152800.660 | 152792.660 | 64 | 152792.660 | 681024954.71 | 4457.18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सूरजपुर | 30 | 30 | 70196.150 | 70196.150 | 30 | 70196.150 | 378404012.29 | 5390.67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| कुल योग | 951 | 916 | 1484610.131 | 1480034.977 | 777 | 1272685.120 | 7193298536.35 | 5652.06 | 132 | 196027.637 | 248451145.00 | 1267.43 | 7 | 11322.220 |

**Additional Managing Director (Trade)**
C.G State Minor Forest Federation, Raipur

परिशिष्ट - ग

## जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित एवं विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2019

| जिला यूनियन का नाम | कुल लाटों की संख्या | लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है | कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में) | कुल भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण | | | | विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण | | | | अविक्रित लाटों का विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | लाटों की संख्या | अग्रिम में विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | विक्रय मूल्य | औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा) | लाटों की संख्या | विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | विक्रय मूल्य | औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा) | लाटों की संख्या | अविक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| बीजापुर | 45 | 45 | 90204.525 | 90204.525 | 45 | 90204.525 | 491799518.16 | 5452.05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सुकमा | 48 | 44 | 85438.316 | 85438.316 | 14 | 27454.045 | 120256336.25 | 4380.28 | 26 | 48156.796 | 292325980.00 | 6070.30 | 4 | 9827.475 |
| दंतेवाड़ा | 11 | 11 | 22407.085 | 22353.038 | 5 | 9306.787 | 33498658.21 | 3599.38 | 5 | 10951.931 | 46171632.00 | 4215.84 | 1 | 2094.320 |
| जगदलपुर | 15 | 15 | 19073.408 | 19067.778 | 6 | 8469.267 | 25008972.21 | 2952.91 | 8 | 9790.191 | 37697815.00 | 3850.57 | 1 | 808.320 |
| दक्षिण कोंडागांव | 11 | 11 | 21969.798 | 21969.798 | 0 | --- | --- | --- | 10 | 19633.710 | 96381404.00 | 4908.98 | 1 | 2336.088 |
| केशकाल | 16 | 16 | 30755.360 | 30401.276 | 6 | 13747.275 | 51202491.82 | 3724.56 | 10 | 16654.001 | 84326088.00 | 5063.41 | 0 | 0.000 |
| नारायणपुर | 12 | 12 | 24308.104 | 24308.099 | 1 | 1613.580 | 5663665.80 | 3510.60 | 11 | 22694.519 | 105812306.00 | 4662.46 | 0 | 0.000 |
| पूर्व भानुप्रतापपुर | 56 | 56 | 98417.561 | 98407.996 | 55 | 96991.051 | 532289633.22 | 5488.03 | 1 | 1416.945 | 8599440.00 | 6069.00 | 0 | 0.000 |
| पश्चिम भानुप्रतापपुर | 55 | 55 | 85001.855 | 85001.855 | 41 | 72944.850 | 355025146.12 | 4867.04 | 14 | 12057.005 | 48877488.00 | 4053.87 | 0 | 0.000 |
| कांकेर | 24 | 24 | 33654.965 | 33575.785 | 22 | 31937.455 | 182584571.07 | 5716.94 | 2 | 1638.330 | 9387294.00 | 5729.79 | 0 | 0.000 |
| राजनांदगांव | 51 | 51 | 75010.400 | 75010.400 | 40 | 64156.715 | 361446543.93 | 5633.81 | 11 | 10853.685 | 53198422.00 | 4901.42 | 0 | 0.000 |
| खैरागढ़ | 24 | 24 | 33246.540 | 33232.160 | 6 | 7577.630 | 34370572.60 | 4535.79 | 18 | 25654.530 | 111270567.00 | 4337.27 | 0 | 0.000 |
| बालोद | 18 | 18 | 20419.405 | 20394.850 | 16 | 18372.550 | 102762760.25 | 5593.28 | 2 | 2022.300 | 7480868.00 | 3699.19 | 0 | 0.000 |
| कवर्धा | 24 | 24 | 35411.300 | 35284.025 | 0 | --- | --- | --- | 17 | 23718.609 | 126972487.00 | 5353.29 | 7 | 11565.416 |
| धमतरी | 23 | 23 | 22962.220 | 22924.443 | 18 | 18131.680 | 98072443.31 | 5408.90 | 5 | 4792.763 | 28724842.00 | 5993.38 | 0 | 0.000 |
| गरियाबंद | 62 | 62 | 78765.725 | 78521.385 | 52 | 67569.910 | 405753886.01 | 6004.95 | 10 | 10951.475 | 43968785.00 | 4014.87 | 0 | 0.000 |
| महासमुंद | 69 | 69 | 77530.025 | 77467.315 | 56 | 66498.150 | 357275633.39 | 5372.72 | 12 | 9706.515 | 51668609.00 | 5323.09 | 1 | 1262.650 |
| बलौदा बाजार | 16 | 16 | 19728.830 | 19722.850 | 12 | 14742.080 | 80979148.65 | 5493.06 | 2 | 3010.830 | 10041999.00 | 3335.29 | 2 | 1969.940 |
| बिलासपुर | 21 | 21 | 26266.895 | 26247.495 | 11 | 15115.275 | 79782716.99 | 5278.28 | 4 | 4127.680 | 21504626.00 | 5209.86 | 6 | 7004.540 |
| मरवाही | 14 | 14 | 22577.240 | 22525.655 | 7 | 12144.440 | 67630009.54 | 5568.80 | 7 | 10381.215 | 53035208.00 | 5108.77 | 0 | 0.000 |
| जांजगीर-चांपा | 7 | 7 | 9860.545 | 9860.545 | 1 | 957.000 | 4076820.00 | 4260.00 | 2 | 2356.160 | 9235692.00 | 3919.81 | 4 | 6547.385 |
| रायगढ़ | 41 | 41 | 52465.815 | 52323.645 | 25 | 34508.915 | 178611060.46 | 5175.79 | 4 | 5624.505 | 32152818.00 | 5716.56 | 12 | 12190.225 |
| धरमजयगढ़ | 53 | 53 | 73284.850 | 73116.072 | 43 | 59334.385 | 345877196.31 | 5829.29 | 10 | 13781.687 | 87030620.00 | 6314.95 | 0 | 0.000 |
| कोरबा | 34 | 34 | 53344.280 | 53344.280 | 28 | 45776.510 | 283007817.16 | 6182.38 | 6 | 7567.770 | 44886956.00 | 5931.33 | 0 | 0.000 |
| कटघोरा | 39 | 39 | 67520.440 | 67520.440 | 26 | 55187.610 | 325252725.52 | 5893.58 | 11 | 10732.700 | 60810315.00 | 5665.89 | 2 | 1600.130 |
| जशपुर नगर | 20 | 19 | 27397.784 | 26639.098 | 4 | 6538.030 | 29103320.00 | 4451.39 | 10 | 13068.624 | 65579618.00 | 5018.10 | 5 | 7032.444 |

| जिला यूनियन का नाम | कुल लाटों की संख्या | लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है | कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में) | कुल भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण | | | | विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण | | | | अविक्रित लाटों का विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | लाटों की संख्या | अग्रिम में विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | विक्रय मूल्य | औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा) | लाटों की संख्या | विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | विक्रय मूल्य | औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा) | लाटों की संख्या | अविक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| मनेन्द्रगढ़ | 20 | 20 | 48659.470 | 48528.180 | 6 | 16602.610 | 80447318.89 | 4845.46 | 14 | 31925.570 | 180098557.00 | 5641.20 | 0 | 0.000 |
| कोरिया | 16 | 16 | 28143.260 | 28084.815 | 4 | 12523.345 | 68566419.55 | 5475.09 | 12 | 15561.470 | 97696490.00 | 6278.10 | 0 | 0.000 |
| सरगुजा | 15 | 15 | 31367.519 | 31224.170 | 6 | 19651.565 | 101943256.10 | 5187.54 | 9 | 11572.605 | 66716303.00 | 5765.02 | 0 | 0.000 |
| बलरामपुर | 64 | 64 | 125430.080 | 124276.320 | 11 | 17047.470 | 67516795.30 | 3960.52 | 52 | 103757.180 | 531749729.00 | 5124.94 | 1 | 3471.670 |
| सूरजपुर | 30 | 30 | 64720.023 | 64305.247 | 12 | 30381.740 | 156664123.25 | 5156.52 | 18 | 33923.507 | 179801829.00 | 5300.21 | 0 | 0.000 |
| कुल योग | 954 | 949 | 1505343.623 | 1501281.856 | 579 | 935486.445 | 5026469560.07 | 5373.11 | 323 | 498084.808 | 2593204787.00 | 5206.35 | 47 | 67710.603 |

**Additional Managing Director (Trade)**
C.G State Minor Forest Federation, Raipur

# जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित एवं विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2020

| जिला यूनियन का नाम | कुल लाटों की संख्या | लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है | कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में) | कुल भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण | | | | विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण | | | | अविक्रित लाटों का विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | लाटों की संख्या | अग्रिम में विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | विक्रय मूल्य | औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा) | लाटों की संख्या | विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | विक्रय मूल्य | औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा) | लाटों की संख्या | अविक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| बीजापुर | 45 | 36 | 81998.838 | 81998.838 | 36 | 81998.838 | 404207849.70 | 4929.43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सुकमा | 48 | 36 | 41447.170 | 41330.000 | 5 | 7141.707 | 22912650.56 | 3208.29 | 27 | 32166.653 | 223022047.00 | 6933.33 | 4 | 2021.640 |
| दंतेवाड़ा | 11 | 9 | 3611.158 | 3611.158 | 3 | 1675.402 | 5262471.43 | 3141.02 | 2 | 608.545 | 4113144.00 | 6758.98 | 4 | 1327.211 |
| जगदलपुर | 15 | 15 | 11779.387 | 11653.792 | 3 | 3258.755 | 9141721.38 | 2805.28 | 4 | 2051.257 | 12087362.00 | 5892.66 | 8 | 6343.780 |
| दक्षिण कोंडागांव | 11 | 11 | 11366.582 | 11365.482 | 1 | 560.440 | 1888122.36 | 3369.00 | 1 | 1456.690 | 8578448.00 | 5889.00 | 9 | 9348.352 |
| केशकाल | 16 | 16 | 16654.780 | 16181.269 | 6 | 6320.435 | 23090337.89 | 3653.28 | 1 | 773.485 | 3609082.00 | 4666.00 | 9 | 9087.349 |
| नारायणपुर | 12 | 12 | 12705.570 | 12666.679 | 3 | 2859.269 | 9451081.65 | 3305.42 | | | | | 9 | 9807.410 |
| पूर्व भानुप्रतापपुर | 56 | 56 | 82126.315 | 82121.135 | 55 | 81348.845 | 458211076.32 | 5632.67 | | | | | 1 | 772.290 |
| पश्चिम भानुप्रतापपुर | 55 | 55 | 67707.160 | 67707.160 | 41 | 60243.310 | 300053839.49 | 4980.70 | 13 | 7041.830 | 37597327.00 | 5339.14 | 1 | 422.020 |
| कांकेर | 24 | 24 | 28643.405 | 28638.310 | 22 | 28270.015 | 156634245.87 | 5540.65 | 2 | 368.295 | 2689907.00 | 7303.68 | 0 | 0.000 |
| राजनांदगांव | 51 | 51 | 59515.330 | 59508.695 | 46 | 57990.855 | 309442636.99 | 5336.06 | 5 | 1517.840 | 9247852.00 | 6092.77 | 0 | 0.000 |
| खैरागढ़ | 24 | 24 | 28409.435 | 28405.750 | 19 | 23583.515 | 86833170.91 | 3681.94 | 5 | 4822.235 | 30817767.00 | 6390.76 | 0 | 0.000 |
| बालोद | 18 | 18 | 16298.540 | 16297.180 | 17 | 15672.695 | 78048259.87 | 4979.89 | 1 | 624.485 | 3056855.00 | 4895.00 | 0 | 0.000 |
| कवर्धा | 24 | 24 | 20304.090 | 20282.655 | 7 | 9932.880 | 38590095.54 | 3885.09 | 3 | 2064.545 | 9940776.00 | 4815.00 | 14 | 8285.230 |
| धमतरी | 23 | 23 | 19013.395 | 19003.860 | 19 | 16964.490 | 89997413.11 | 5305.05 | | | | | 4 | 2039.370 |
| गरियाबंद | 62 | 62 | 58435.640 | 58371.190 | 56 | 55812.000 | 329457468.26 | 5902.99 | 1 | 326.800 | 2111782.00 | 6462.00 | 5 | 2232.390 |
| महासमुंद | 69 | 69 | 51857.170 | 51844.020 | 56 | 44663.170 | 237767122.04 | 5323.56 | 1 | 791.500 | 4822610.00 | 6093.00 | 12 | 6389.350 |
| बलौदा बाजार | 16 | 16 | 13641.360 | 13641.360 | 12 | 11387.165 | 62793109.87 | 5514.38 | 1 | 206.300 | 1064715.00 | 5161.00 | 3 | 2047.895 |
| बिलासपुर | 21 | 21 | 14020.380 | 14020.380 | 15 | 12632.605 | 60910417.34 | 4821.68 | | | | | 6 | 1387.775 |
| मरवाही | 14 | 14 | 11526.948 | 11393.448 | 7 | 8218.647 | 44788747.34 | 5449.65 | 1 | 294.920 | 1536534.00 | 5210.00 | 6 | 2879.881 |
| जांजगीर-चांपा | 7 | 7 | 3445.030 | 3445.030 | 1 | 819.800 | 3130816.20 | 3819.00 | 1 | 361.000 | 1989110.00 | 5510.00 | 5 | 2264.230 |
| रायगढ़ | 41 | 41 | 26986.355 | 26926.426 | 29 | 22709.530 | 113006009.80 | 4976.15 | 5 | 1642.543 | 9279863.00 | 5649.69 | 7 | 2574.353 |
| धरमजयगढ़ | 53 | 53 | 54283.145 | 54281.852 | 52 | 53976.565 | 315463270.94 | 5844.45 | 1 | 305.287 | 2184329.00 | 7155.00 | 0 | 0.000 |
| कोरबा | 34 | 34 | 33459.290 | 33459.290 | 30 | 32289.050 | 195527915.18 | 6055.55 | 2 | 660.340 | 4012391.00 | 6076.25 | 2 | 509.900 |
| कटघोरा | 39 | 37 | 36424.130 | 36424.130 | 27 | 32965.590 | 196206218.99 | 5951.85 | 7 | 2672.280 | 14990110.00 | 5609.48 | 3 | 786.260 |
| जशपुर नगर | 20 | 20 | 15309.805 | 15059.851 | 4 | 3363.350 | 14366762.97 | 4271.56 | 2 | 1474.255 | 7369410.00 | 4998.73 | 14 | 10222.246 |

| जिला यूनियन का नाम | कुल लाटों की संख्या | लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है | कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में) | कुल भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण | | | | विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण | | | | अविक्रित लाटों का विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | लाटों की संख्या | अग्रिम में विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | विक्रय मूल्य | औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा) | लाटों की संख्या | विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) | विक्रय मूल्य | औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा) | लाटों की संख्या | अविक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| मनेन्द्रगढ़ | 20 | 20 | 25324.370 | 25306.315 | 13 | 19458.395 | 91569766.63 | 4705.93 | | | | | 7 | 5847.920 |
| कोरिया | 16 | 16 | 21145.585 | 21140.190 | 12 | 17420.815 | 84394692.29 | 4844.47 | 2 | 1594.150 | 8042547.00 | 5045.04 | 2 | 2125.225 |
| सरगुजा | 15 | 15 | 19073.625 | 18972.648 | 8 | 12827.790 | 62357694.92 | 4861.14 | 1 | 874.170 | 5392755.00 | 6169.00 | 6 | 5270.688 |
| बलरामपुर | 64 | 64 | 49890.485 | 49431.446 | 12 | 16849.570 | 68629344.63 | 4073.06 | | | | | 52 | 32581.876 |
| सूरजपुर | 30 | 29 | 36393.585 | 36345.419 | 17 | 28492.335 | 135705333.99 | 4762.87 | | | | | 12 | 7853.084 |
| कुल योग | 954 | 928 | 972798.058 | 970834.958 | 634 | 771707.828 | 4009839664.46 | 5196.06 | 89 | 64699.405 | 407556723.00 | 6299.23 | 205 | 134427.725 |

**Additional Managing Director (Trade)**
C.G State Minor Forest Federation, Raipur

## परिशिष्ट — ड

### प्रोत्साहन पारिश्रमिक 2018 की NEFT के माध्यम से वितरण की स्थिति

| क्रमांक | जि.यू. का नाम | वितरण योग्य राशि | NEFT के माध्यम से वितरित राशि | नगद वितरित राशि | समारोह व्यय की राशि | कुल वितरण से शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बीजापुर | 14,17,31,392 | 2,49,34,143 | 11,62,40,290 | 3,78,819 | 1,78,140 |
| 2 | सुकमा | 33,90,239 | 4,79,957 | 28,28,244 | 3,473 | 78,565 |
| 3 | दंतेवाड़ा | 71,17,585 | 66,44,076 | 2,87,840 | 26,293 | 1,59,376 |
| 4 | जगदलपुर | 80,59,654 | 55,83,173 | - | 78,890 | 23,97,591 |
| 5 | दक्षिण कोण्डागांव | 32,64,908 | 25,23,677 | - | 41,513 | 6,99,718 |
| 6 | केशकाल | 98,59,018 | 92,95,975 | - | 80,378 | 4,82,665 |
| 7 | नारायणपुर | 59,37,593 | 49,45,222 | 7,72,197 | 38,241 | 1,81,933 |
| 8 | पूर्व भानुप्रतापपुर | 7,87,77,914 | 7,66,15,010 | 8,96,369 | 2,16,128 | 10,50,407 |
| 9 | पश्चिम भानुप्रतापपुर | 2,97,98,655 | 2,65,78,532 | - | 1,63,422 | 30,56,701 |
| 10 | कांकेर | 5,95,31,402 | 5,90,67,891 | - | 1,38,122 | 3,25,389 |
| 11 | राजनांदगांव | 9,69,60,102 | 9,63,45,670 | - | 3,30,172 | 2,84,260 |
| 12 | खैरागढ़ | 87,50,625 | 85,92,547 | - | 52,505 | 1,05,573 |
| 13 | बालोद | 5,81,61,174 | 5,72,31,476 | - | 1,10,898 | 8,18,800 |
| 14 | कवर्धा | 4,94,78,801 | 4,91,75,956 | - | 1,40,342 | 1,62,503 |
| 15 | धमतरी | 5,45,63,020 | 5,42,98,754 | - | 1,41,976 | 1,22,290 |
| 16 | गरियाबंद | 18,92,22,977 | 18,84,03,746 | - | 3,46,130 | 4,73,101 |
| 17 | महासमुंद | 21,36,52,335 | 21,18,48,435 | - | 4,10,006 | 13,93,894 |
| 18 | बलौदाबाजार | 5,20,60,145 | 5,15,35,387 | - | 1,02,044 | 4,22,714 |
| 19 | बिलासपुर | 6,07,17,001 | 5,99,85,358 | - | 1,47,446 | 5,84,197 |
| 20 | मरवाही | 4,06,38,380 | 3,92,96,857 | - | 90,448 | 12,51,075 |
| 21 | जांजगीर-चांपा | 15,48,598 | 15,26,356 | - | 6,966 | 15,276 |
| 22 | रायगढ़ | 11,04,80,671 | 10,88,28,025 | - | 2,57,886 | 13,94,760 |
| 23 | धर्मजयगढ़ | 20,94,94,132 | 20,84,49,326 | - | 3,38,479 | 7,06,328 |
| 24 | कोरबा | 16,31,24,410 | 16,27,33,839 | - | 2,36,931 | 1,53,640 |
| 25 | कटघोरा | 18,81,46,477 | 18,59,88,306 | - | 3,16,344 | 18,41,827 |
| 26 | जशपुरनगर | 4,97,63,906 | 4,62,50,977 | - | 1,72,629 | 33,40,300 |
| 27 | मनेंद्रगढ़ | 6,80,44,653 | 6,76,93,815 | - | 1,97,389 | 1,53,449 |
| 28 | कोरिया | 6,77,63,928 | 6,73,39,002 | - | 1,79,278 | 2,45,648 |
| 29 | सरगुजा | 5,25,25,495 | 5,10,91,191 | - | 1,60,486 | 12,73,818 |
| 30 | बलरामपुर | 13,03,43,773 | 12,88,91,100 | - | 6,41,738 | 8,10,935 |
| 31 | सूरजपुर | 11,72,67,606 | 11,65,30,013 | - | 3,38,226 | 3,99,367 |
| | Grand Total | 2,33,01,76,569 | 2,17,87,03,792 | 12,10,24,940 | 58,83,598 | 2,45,64,239 |

Manager (Finance)
C.G. State M.F.P. Cooperative
Federation Raipur (C.G.)

**<u>विषय क्रमांक - 3</u>**

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित क्रिया कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग-1 एवं वर्ग-2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।**

**(i) <u>बीमा योजनायें</u>:-**

- **शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना**:- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना दिनांक 05.08.2020 से संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति / उत्तराधिकारी को राशि रू. 2.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रू. 2.00 लाख अतिरिक्त रूप से प्रदाय किया जाएगा। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में राशि रू. 2.00 लाख तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में राशि रू. 1.00 लाख की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदुपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाएगी।

- तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामाकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रू. 30,000/- तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर रू. 75,000/- की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में रू. 75,000/- तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में रू. 37,500/- की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदुपत्ता संग्राहक को प्रदाय की जायेगी।

- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 50 प्रतिशत की राशि छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन किया जावेगा। वर्ष 2021-22 में इस हेतु राशि रूपये 40.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

- **<u>सामूहिक सुरक्षा योजना (संघ संचालित)</u>** - वर्ष 2020-21 हेतु सामूहिक सुरक्षा योजना का संचालन छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से किया जा रहा है। संघ संचालित सामूहिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मृतक तेंदूपत्ता संग्राहक के परिवार के मुखिया (दावेदार) को रूपये 12,000/- भुगतान किया जाता है। वर्ष 2021-22 में इस हेतु राशि रूपये 3.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

- **<u>प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों समूह बीमा</u>**:- प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 से बीमा कराया गया है। वर्ष 2020-21 में बीमित प्रबंधकों की संख्या 835 है।

- **<u>प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के फॅड़मुंशीयों का समूह बीमा</u>**:- प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता फॅड़मुंशीयों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 से बीमा कराया गया है। वर्ष 2020-21 में बीमित फॅड़मुंशीयों की संख्या 9653 है।

- <u>संघ द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं</u>- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू है।

## (ii) राष्ट्रीयकृत वनोपज का व्यापार

**तेन्दू पत्ता** - वर्ष 2021-22 में भी विगत वर्ष की भांति तेन्दू पत्ता का संग्रहण एवं विक्रय व्यापार प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के माध्यम से संचालित की जावेगी। अनुमानित संग्रहण लक्ष्य 16.717 लाख मानक बोरा है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2020 एवं पूर्व के वर्षो के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2021 में कुल 954 लाटों में लगभग 16.717 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है। अनुमानित तेन्दूपत्ते का अग्रिम विक्रय आनलाइन निविदाएँ आमंत्रित करके की जावेगी। तेन्दूपत्ता संग्रहण में कुल रू. 669 करोड़ के संग्रहण पारिश्रमिक के वितरण का अनुमान है।

## (iii) वर्ष 2019 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2019 में तेन्दूपत्ता का परिदान उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि का वितरण शासन के अनुमोदन उपरांत तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि के रूप में वितरण किया जावेगा।

## (iv) अकाष्ठीय वनोपज विकास

### 1. लघु वनोपज संग्रहण -

### 1.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना -

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित लघु वनोपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना वर्ष 2014-15 से राज्य में लागू की गई है । इस योजनांतर्गत लघु वनोपज व्यापार हेतु वर्ष 2014-15 से अभी-तक रू. 204.91 करोड़ राशि संघ को प्राप्त हुई है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि भारत शासन द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

योजना के प्रारंभ में 7 प्रकार के लघु वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्तमान वर्ष 2020-21 में 38 प्रकार के वनोपज को क्रय करने हेतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त हुई है।

1.2 **तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त लाभांश का 15 प्रतिशत राशि** - इस राशि से लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा लाख पालन को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति पूर्व से प्राप्त है। इस राशि की सहायता से ऐसे लघु वनोपज, जिस हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वीकृत नहीं है, का संग्रहण एवं प्रसंस्करण किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज संग्राहकों को लाभ देने हेतु 38 प्रकार के लघु वनोपज को भारत शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तथा 14 प्रकार के अन्य वनोपज को उचित दर पर इस तरह कुल 52 प्रकार के लघु वनोपज के क्रय हेतु व्यवस्था की गई है। वर्ष 2021-22 में रू. 200 करोड़ मूल्य के वनोपज क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

### 2. लघु वनोपज प्रसंस्करण

2.1 **प्रधानमंत्री वन-धन योजना** - लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु राज्य में 139 वन-धन विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री वन-धन योजनांतर्गत प्रत्येक केंद्र के लिये रूपये 15.00 लाख अनुदान राशि भारत शासन से प्राप्त हुआ है। उक्त योजनांतर्गत स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण, उपकरण व्यवस्था, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण हेतु चक्रीय राशि का प्रावधान किया गया है।

संघ द्वारा संग्रहित वनोपज को प्राथमिक प्रसंस्करण / प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये राज्य में 139 वन-धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से 103 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार कर **''छत्तीसगढ़ हर्बल्स''** नाम पर संजीवनों केंद्रों द्वारा विक्रय किये जा रहे हैं। उक्त कार्य से लगभग 13900 महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं।

2.2 **लघु वनोपज प्रसंस्करण** - राज्य में लघु वनोपज को वृहद स्तर पर प्रसंस्करण करने हेतु राज्य के पाटन क्षेत्र में एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जा रही है, जहाँ विभिन्न प्रकार के लघु वनोपज आधारित उत्पाद वृहद स्तर पर तैयार किये जावेंगे।

इसी प्रकार दंतेवाड़ा जिले में निवासरत ग्रामीणों के उत्थान के लिये वहॉ एक क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई स्थापना प्रस्तावित है। इस प्रकार लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा देते हुये ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार का अवसर दिया जावेगा। इकाईयों की स्थापना केंद्र शासन से प्राप्त एकमुश्त केंद्रीय सहायता में उपलब्ध राशि, ट्रायफेड योजना तथा 15 प्रतिशत की राशि से किया जावेगा।

3. **लघु वनोपज विपणन** - न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से संग्रहित लघु वनोपज को ऑनलाईन निविदा के माध्यम से विक्रय किया जाता है। राजकीय वनोपज व्यापार के अंतर्विभागीय समिति के निर्णय के अनुसार सीमित वनोपज को निश्चित दर पर भी विक्रय किया जाता है। संघ द्वारा स्थापित वन-धन विकास केंद्रों तथा प्रसंस्करण इकाईयों के माध्यम से निर्मित हर्बल उत्पादों को रिटैल मार्केटिंग करने हेतु डिस्ट्रीब्यूटर आदि द्वारा विक्रय किया जावेगा।

4. **अनुसंधान एवं विस्तार** - राज्य में उत्पादित विभिन्न प्रकार के लघु वनोपज प्रसंस्करण आदि हेतु ख्याति प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के साथ अनुबंध किया जा रहा है। महुआ आधारित उत्पाद संबंधी अनुसंधान कार्य हेतु CFTRI मैसूर से अनुबंध किया गया है। इसी प्रकार लाख प्रसंस्करण संबंधी तकनीकी विकास के लिये अनुसंधान हेतु IIT कानपुर से अनुबंध कर प्राप्त परिणाम के आधार पर लाख विकास कार्य किया जावेगा। लघु वनोपज संबंधी प्रसंस्करण, तकनीकी हस्तांतरण आदि विषयों पर Indian Council of Agricultural Research के साथ अनुबंध कर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य संपन्न किया जावेगा।

5. **लाख पालन** - छत्तीसगढ़ राज्य में 50 हजार लाख कृषकों द्वारा लगभग 4000 टन लाख का उत्पादन प्रति वर्ष होता है, इससे लगभग रूपये 100 करोड़ का आय ग्रामीणों को प्राप्त होता है। आगामी 03 वर्ष में लाख उत्पादन 4000 टन से बढ़ाकर 10,000 टन वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। इस हेतु लाख पालन को कृषि समतुल्य मानते हुये लाख पालन के लिये बिना किसी ब्याज के फसल ऋण, फसल बीमा सुविधा देने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त बीहन लाख उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था की जा रही है। लाख कृषकों को वैज्ञानिक खेती अपनाने हेतु लाख उत्पादन क्षेत्र में लाख फेसिलिटेटर को प्रशिक्षित कर उपयोग करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुसुमी लाख को रू. 300/- प्रति कि.ग्रा. तथा रंगीनी लाख को रू. 225/- पर क्रय करते हुये 20 क्षेत्रीय संयत्रों द्वारा क्रय किये गये छीली लाख को प्रसंस्कृत करते हुये सीड लाख तैयार कर विक्रय करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त कार्य द्वारा लाख पालन में वृद्धि के साथ ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा।

6. **लघु वनोपज समूह क्षेत्र संवर्द्धन एवं औषधि खेती** - चयनित जिला यूनियनों में लघु वनोपज से समृद्ध 5000 हेक्ट. वन क्षेत्र कों लोक संरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु चयन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 1000 हेक्ट. आगामी 5 वर्ष तक उपचार किया जायेगा। इस प्रकार 20 जिला यूनियनों में 5000 हेक्ट. के मान से कुल 1 लाख हेक्ट. वन क्षेत्र का संवर्धन किया जाना प्रस्तावित है। इस वनक्षेत्र के अंतर्गत विलुप्त कगार पर तथा अधिक मांग वाले वनोपज/औषधि प्रजातियों का एनरिचमेंट

प्लांटिंग (Enrichment Planting) द्वारा वृहद रूप से रोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु नरेगा, कैम्पा, डी.एम.एफ आदि से लाभ लिया जा सकता है।

कृषि वानिकी द्वारा महत्वपूर्ण लघु वनोपज तथा औषधिय प्रजातियों को कलस्टर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे गैर वनक्षेत्र से भी पर्याप्त मात्रा में लघु वनोपज / औषधि का उत्पादन हो सके। इसके साथ उपरोक्त कार्य वन अधिकार पत्र प्राप्त कृषकों के इच्छुक होने की स्थिति में उपरोक्त योजना में सम्मिलित कर सकते हैं। यह कार्य लोक संरक्षित क्षेत्र योजनांतर्गत संपादित किया जाना प्रस्तावित हैं।

7. **उद्यमिता विकास** - राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत राज्य में लघु वनोपज आधारित नवीन उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु प्रावधान किया गया है। उक्त उद्योग को बढ़ावा देने हेतु संघ में Enterpreneurship Development Cell स्थापित किया जावेगा।

### 8. क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई (रिजनल प्रोसेसिंग यूनिट) तथा केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) की स्थापना-

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य में लघु वनोपजों के प्राथमिक प्रसंस्करण एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु 139 स्थानों पर वन धन विकास केन्द्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस कार्य को बढ़ाने हेतु केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई एवं क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जा रही है। केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना पाटन विकासखंड के ग्राम जामगांव (एम.) में की जा रही है ।इस हेतु कुल 36.48 हेक्टे. भूमि वन विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित की जा चुकी है। शेष 8.78 हेक्टे. भूमि का स्थानान्तरण प्रक्रियाधीन है। इस परियोजना का अनुमानित कुल लागत लगभग 100 करोड़ रूपये है। किटको केरल को इस कार्य हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से सौपा गया है। क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना ग्राम बलूद जिला यूनियन दंतेवाड़ा में की जा रही है। वर्तमान में क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई दंतेवाड़ा की स्थापना हेतु भू व्यपवर्तन का प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किया गया है। वन भूमि के व्यपवर्तन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई दंतेवाड़ा और केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई पाटन की स्थापना पश्चात् राज्य में ही बड़े पैमाने पर लघु वनोपज का प्रसंस्करण किया जा सकता है, और इससे राज्य के लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। इस योजना हेतु वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 21.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

**विषय क्रमांक - 4**

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित से 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियन संबद्ध है। राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण एवं अन्य शासकीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि जिला वनोपज सहकारी यूनियनों को अग्रिम के रूप में प्रदाय की जाती है। उक्त राशि के व्यय उपरांत व्यय लेखे जिला यूनियन से प्राप्त कर संघ की लेखा पुस्तकों में समायोजित किया जाता है एवं इसी प्रकार विक्रय लेखों का समायोजन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में समस्त 31 जिला यूनियनों के प्राप्त वार्षिक लेखों का समायोजन उपरांत संघ के अंतिम वित्तीय पत्रक (व्यापार पत्रक / लाभ-हानि एवं स्थिति विवरण पत्रक) तैयार कर अंकेक्षित अंतिम वित्तीय पत्रक संचालक मण्डल के अवलोकन उपरांत आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

## विषय क्रमांक - 5

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंकेक्षण टीप संचालक मण्डल के अनुमोदन उपरान्त आमसभा में शुद्ध लाभ की विभाजन की पुष्टि बाबत्।**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वित्तीय वर्ष 2018-19 का अंकेक्षण पूर्ण उपरांत वित्तीय पत्रकों का संघ की 20वीं आम सभा सितंबर 2019 में अनुमोदन कराया जा चुका है।

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के वर्ष 2018-19 में अनुमोदित वित्तीय पत्रकों में वनोपज संघ को राशि 4,42,73,761/- रूपये का पूंजी पर अर्जित ब्याज प्रदर्शित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में संघ की पूंजी के विनियोजन से अर्जित ब्याज (लाभ) की राशि 4,42,73,761/- रूपये का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है, जिसका अनुमोदन संघ की 82वीं संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 22.09.2020 को किया जा चुका है। अतः संघ के उपनियम - 30 में दर्शित प्रावधान अनुसार लाभ का निम्न मदों में विभाजन निम्नानुसार होना है -

| क्रमांक | फंड का नाम | विभाजन प्रतिशत | विभाजित राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | रक्षित निधि फंड | 33.50% | 1,48,31,709.93 |
| 2 | अंश पूंजी मोचन फंड | 20% | 88,54,752.20 |
| 3 | इन्वेंट्री लॉस फंड | 10% | 44,27,376.10 |
| 4 | सहकारिता आंदोलन के विकास फंड | 3% | 13,28,212.83 |
| 5 | सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण | 10% | 44,27,376.10 |
| 6 | भवन फंड | 17% | 75,26,539.37 |
| 7 | वाहन फंड | 4.50% | 19,92,319.25 |
| 8 | संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड | 2% | 8,85,475.22 |
| योग :- | | **100%** | **4,42,73,761.00** |

वनोपज संघ द्वारा पूंजी पर अर्जित ब्याज (लाभ) का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी प्रस्ताव संचालक मण्डल से पारित उपरांत आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक - 6

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2021-22 के लिये बजट की स्वीकृति।

वर्ष 2021-22 के लिये संघ का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित हैः-

## अनुमानित व्यय

### (अ) लघु वनोपज संग्रहण अनुमानित व्यय

| अ. क्र. | वनोपज का नाम | संग्रहण वर्ष | मात्रा | इकाई | दर (रूपयों में) | राशि (रू.लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | तेन्दू पत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय) | 2021 | 16.717 | लाख मानक बोरा | 5100.00 प्रति मानक बोरा | 85,256.70 |
| | | | योग | | | 85,256.70 |

### (ब) अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास अनुमानित व्यय (रूपये करोड़ में)

| क्र. | मद क्रमांक | मद एवं उपमद का नाम | विवरण | वित्तीय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना | केन्द्र प्रवर्तित योजना | |
| | 7.1 | लघु वनोपज क्रय | | 250.00 |
| | 7.2 | लघु वनोपज संग्रहण / भंडारण पर व्यय | | 50.00 |
| | 7.3 | प्रशासकीय व्यय | | 5.00 |
| 2 | 8 | प्रधान मंत्री वन धन योजना | केन्द्र क्षेत्रीय योजना | |
| | 8.1 | वन धन केन्द्र स्थापना एवं उपकरण व्यवस्था | | 1.00 |
| | 8.2 | प्राथमिक प्रसंस्करण / प्रसंस्करण | | 8.00 |
| | 8.3 | क्षमता विकास (प्राथमिक प्रसंस्करण) | | 1.00 |
| 3 | 31 | लोक संरक्षित क्षेत्र - 01 (संघ मद) परियोजना | संघ पोषित योजना | |
| | 31.1 | संसाधन सर्वेक्षण | | 0.50 |
| | 31.2 | अंत:स्थलीय संवर्धन | | 8.00 |
| | 31.3 | बाहय स्थलीय संवर्धन एवं औषधि रोपणी | | 0.30 |
| | 31.4 | क्षमता विकास | | 1.20 |
| | 31.5 | वन औषधालय | | 0.50 |
| | 31.6 | अन्य व्यय | | 0.05 |
| 4 | 32 | आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना | राज्य योजना | |

| क्र. | मद क्रमांक | मद एवं उपमद का नाम | विवरण | वित्तीय |
|---|---|---|---|---|
| | 32.1 | संसाधन सर्वेक्षण | | 0.50 |
| | 32.2 | अंतः स्थलीय संवर्धन | | 3.00 |
| | 32.3 | बाहय स्थलीय संवर्धन एवं औषधि रोपणी | | 0.50 |
| | 32.4 | क्षमता विकास | | 0.30 |
| | 32.5 | वन औषधालय | | 0.50 |
| | 32.6 | अन्य व्यय | | |
| 5 | **39.3** | **गोदाम निर्माण हाट बाजार उन्नयन** | केन्द्र प्रवर्तित योजना | 10.00 |
| | 39.3.1 | गोदाम निर्माण | | |
| | 39.3.2 | एन.डब्ल्यू.एफ.पी मार्ट थोक विक्रय सह भंडारण केन्द्र निर्माण व अन्य निर्माण | | |
| | 39.3.3 | हाट बाजार उन्नयन | | |
| **6** | **46** | **प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.ज.जा.) 14-2406-102-5231 लघु वनोपज कार्य हेतु** | केन्द्र क्षेत्रीय योजना | |
| | 46.1 | प्रसंस्करण केन्द्रों भवन निर्माण व्यय | | 10.00 |
| | 46.2 | प्रसंस्करण केन्द्रो का मशीनरी व्यय | | 15.00 |
| | 46.3 | स्थापना व्यय/तकनीकी सहायता/क्षमता विकास | | 2.00 |
| | 46.4 | कार्य पूंजी | | 1.00 |
| | 46.5 | अन्य व्यय | | 0.50 |
| | 46.6 | अधोसंरचना निर्माण | | 10.00 |
| **7** | **47** | **प्रसंस्करण केन्द्र राज्य शासन योजना (अ.ज.जा.) 41-2406-01-102-0102-5231** | राज्य योजना | |
| | 47.1 | प्रसंस्करण केन्द्रों का भवन निर्माण व्यय | | |
| | 47.2 | प्रसंस्करण केन्द्रो का मशीनरी व्यय | | |
| | 47.3 | कार्य पूंजी/स्व-सहायता समूहों को प्रदाय की गई चक्रीय राशि | | |
| | 47.4 | तकनीकी सहायता/क्षमता विकास | | |
| | 47.5 | अन्य व्यय | | |
| **8** | **51** | **छ.ग राज्य में अकाष्ठीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना** | संघ पोषित योजना | |
| | 51.1 | अकाष्ठीय वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य | | 0.50 |
| | 51.2 | भंडारण | | 0.25 |
| | 51.3 | विपणन | | 0.50 |
| | 51.4 | अनुसंधान एवं विस्तार | | 0.50 |
| | 51.5 | हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा | | 0.50 |
| | 51.6 | लघु वनोपज का संरक्षण | | |
| | 51.7 | सूचना प्रबंधन प्रणाली | | 1.50 |
| | 51.8 | मानव संसाधन प्रबंधन एवं क्षमता विकास | | 1.50 |
| 9 | 52 | **अकाष्ठीय वनोपज प्रजाति / औषधी खेती** | संघ पोषित योजना | |

| क्र. | मद क्रमांक | मद एवं उपमद का नाम | विवरण | वित्तीय |
|---|---|---|---|---|
| | 52.1 | अकाष्ठीय वनोपज प्रजाति विस्तार हेतु कलस्टर चयन (प्रथम वर्ष) | | 5.00 |
| | 52.2 | अकाष्ठीय वनोपज प्रजाति कलस्टर विस्तार (द्वितीय वर्ष) | | 1.00 |
| | 52.3 | अकाष्ठीय वनोपज प्रजाति कलस्टर विस्तार (तृतीयं वर्ष) | | |
| 10 | 35 | **लाख विकास योजना** | राज्य योजना | |
| | 35.1 | लाख संबंधी सर्वेक्षण | | 0.50 |
| | 35.2 | लाख पालन परियोजना | | 0.50 |
| | 35.3 | लाख प्रसंस्करण | | 2.00 |
| | 35.4 | लाख विषय पर क्षमता विकास | | 0.75 |
| | 35.5 | लाख अनुसंधान एवं विस्तार | | 0.30 |
| | 35.6 | लाख आधारित उद्यमिता विकास | | 0.25 |
| 11 | 53 | **लघु वनोपज आधारित उद्योग विकास** | संघ पोषित योजना | |
| | 53.1 | उद्यमिता विकास कार्यक्रम | | 0.25 |
| | 53.2 | उद्यमिता संबंधी कार्यशाला आदि आयोजन | | 0.25 |
| | 53.3 | विशेषज्ञ सेवाऐं | | 0.25 |
| | 53.4 | उद्यमी विकास संबंधी अन्य कार्य | | 0.25 |
| 12 | 54 | **अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज - क्षमता विकास परियोजना** | अन्य स्रोत (NRLM) आदि | |
| | 54.1 | सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट पर प्रशिक्षण | | 2.00 |
| | 54.2 | प्रसंस्कृत उत्पाद प्रशिक्षण | | 1.00 |
| | 54.3 | उत्पाद विपणन पर प्रशिक्षण | | 0.25 |
| | 54.4 | वैकल्पिक आय तथा समूह सुदृढ़ीकरण प्रशिक्षण | | 0.25 |
| | 54.5 | लघु वनोपज का संवर्धन एवं खेती | | 0.25 |
| 13 | 55 | **विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना** | बाह्य सहायता प्राप्त | 10.00 |
| 14 | 56 | **लघु वनोपज प्रसंस्करण ईकाईयॉ** | | |
| | 56.1 | केन्द्रीय प्रसंस्करण ईकाई | केन्द्र प्रवर्तित योजना | 10.00 |
| | 56.2 | क्षेत्रीय प्रसंस्करण ईकाई सरगुजा | संघ योजना | 1.00 |
| | 56.3 | लघु वनोपज प्रसंस्करण पार्क दंतेवाड़ा | अन्य स्रोत | 10.00 |
| | 57 | लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान | केन्द्र प्रवर्तित योजना (Covid Plan) | 20.00 |
| | 58 | लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान | राज्य योजना | |
| 15 | 60 | **अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का क्रय/विकय, भंडारण एवं प्रसंस्करण (पूर्व में मद क्रमांक-27.11)** | संघ पोषित योजना | |
| | 60.1 | अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का संग्रहण | | 50.00 |
| | 60.2 | अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज प्राथमिक प्रसंस्करण / प्रसंस्करण | | 30.00 |
| | 60.3 | अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का विपणन | | 20.00 |
| | 60.4 | क्षमता विकास | | 10.00 |
| | 60.5 | अनुसंधान एवं विस्तार | | 10.00 |
| | **60.6** | **अधोसंरचना विकास** | | |
| | 60.6.1 | नवीन भवन निर्माण | | 40.00 |
| | 60.6.2 | भवन मरम्मत | | 10.00 |
| | | **योग** | | **620.15** |

## (स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (रूपये लाख में)

| अ.क्र. | संशोधित मद | वर्ष 2020-21 | | | वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत बजट | दिनांक 30.11.20 तक का वास्तविक व्यय | पुनरीक्षित बजट | 2021-22 का बजट प्रस्ताव |
| 1 | वेतन एवं भत्ते | 750.00 | 318.73 | 750.00 | 850.00 |
| 2 | चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय | 35.00 | 17.55 | 35.00 | 35.00 |
| 3 | यात्रा भत्ता | 50.00 | 13.39 | 50.00 | 30.00 |
| 4 | अन्य भत्ते | 20.00 | 8.56 | 20.00 | 20.00 |
| 5 | ई.पी.एफ. अंशदान | 125.00 | 62.13 | 125.00 | 125.00 |
| 6 | पेंशन अंशदान | 60.00 | 27.60 | 60.00 | 60.00 |
| 7 | ग्रेज्युटी (उपादान) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 |
| 8 | सेवानिवृत्त अवकाश नगदीकरण (उपादान) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 10.00 |
| 9 | कर्मचारी बोनस | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| 10 | स्टेशनरी आदि क्रय | 15.00 | 2.97 | 25.00 | 25.00 |
| 11 | किताब पत्रिका क्रय | 15.00 | 0.05 | 15.00 | 5.00 |
| 12 | फोटोकापी एवं छपाई व्यय | 15.00 | 1.46 | 15.00 | 15.00 |
| 13 | पोस्टेज | 2.00 | 0.01 | 2.00 | 1.00 |
| 14 | टेलीफोन एवं इन्स्टालेशन/लीज़ व्यय | 6.00 | 2.70 | 8.00 | 15.00 |
| 15 | भवन किराया | 20.00 | 6.26 | 20.00 | 15.00 |
| 16 | बिजली एवं पानी व्यय | 30.00 | 10.96 | 30.00 | 30.00 |
| 17 | विज्ञापन एवं निविदा व्यय | 30.00 | 7.14 | 30.00 | 30.00 |
| 18 | प्रचार-प्रसार | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 300.00 |
| 19 | अतिथि सत्कार, बैठक आयोजन पर व्यय | 20.00 | 3.18 | 20.00 | 20.00 |
| 20 | वाहन मरम्मत व्यय | 15.00 | 0.74 | 15.00 | 15.00 |
| 21 | वाहन ईन्धन व्यय | 15.00 | 11.37 | 20.00 | 25.00 |
| 22 | वाहन बीमा एवं अन्य व्यय | 10.00 | 1.72 | 10.00 | 5.00 |
| 23 | वाहन किराया | 0.00 | 8.31 | 25.00 | 30.00 |
| 24 | प्रशिक्षण | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 25.00 |
| 25 | फर्नीचर मरम्मत | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 5.00 |
| 26 | विविध व्यय | 10.00 | 8.65 | 15.00 | 15.00 |
| 27 | अंकेक्षण शुल्क | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 30.00 |
| 28 | न्यायालयीन/विविध व्यय | 30.00 | 8.71 | 30.00 | 15.00 |
| 29 | घसारा (डिपरिशिएशन) | 200.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 |
| 30 | विभिन्न भवनों, परिसरों का रख रखाव/मरम्मत | 10.00 | 8.62 | 15.00 | 20.00 |
| 31 | कम्प्यूटर/प्रिंटर/अन्य उपकरण मरम्मत/व्यय | 7.00 | 3.38 | 7.00 | 7.00 |
| 32 | उत्कृष्टता सम्मान पुरस्कार | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 |
| 33 | सम्मेलन व्यय | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 34 | विशेष मरम्मत (गोदाम, कार्यालय, आवासीय एवं प्रसंस्करण केन्द्र) | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 35 | सलाहकार सेवाएं पर व्यय | **0.00** | **62.82** | **62.82** | **200.00** |
| | (1) व्यवसायिक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | (2) तकनीकि | 0.00 | 62.82 | 62.82 | |
| | **योग** | **2743.00** | **597.01** | **2977.82** | **3336.00** |

टीपः-मुख्य मद से उप मद में राशि आवंटन / परिवर्तन करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।

## (द) संग्राहक मूलक योजनाओं पर व्यय (रूपये लाख में)

| अ.क्र. | संशोधित मद | वर्ष 2020-21 | | | वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत बजट | दिनांक 30.11.20 तक का वास्तविक व्यय | पुनरीक्षित बजट | 2021-22 का बजट प्रस्ताव |
| 1 | बीमा / सामाजिक सुरक्षा योजनायें | **14.65** | **63.68** | **2914.32** | **4332.00** |
| | (1) शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दू पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना | 0.00 | 0.00 | 2660.00 | 4000.00 |
| | (2) तेन्दू पत्ता संग्राहक सामुहिक सुरक्षा योजना (परिवार बीमा योजना) | 0.00 | 9.36 | 200.00 | 300.00 |
| | (3) फड़ मुंशी बीमा योजना (LIC) | 0.00 | 46.99 | 46.99 | 24.00 |
| | (4) समिति प्रबंधकों की बीमा योजना (LIC) | 0.00 | 7.33 | 7.33 | 8.00 |
| 2 | मेधावी व प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना (छात्रवृत्ति) | 0.00 | 1367.76 | 1500.00 | 1000.00 |
| | **योग** | **14.65** | **1431.44** | **4414.32** | **5332.00** |

टीपः-1. मुख्य मद से उप मद में राशि आबंटन/परिवर्तन करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।
2. शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दू पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु 50 प्रतिशत की राशि राज्य शासन से सहायक अनुदान एवं 50 प्रतिशत संघ द्वारा व्यय की जावेगी।

## (इ) पूंजीगत व्यय (रूपये लाख में)

| अ.क्र. | संशोधित मद | वर्ष 2020-21 | | | वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत बजट | दिनांक 30.11.20 तक का वास्तविक व्यय | पुनरीक्षित बजट | 2021-22 का बजट प्रस्ताव |
| 1 | निर्माण (अचल सम्पत्ति) | **1500.00** | **105.30** | **2000.00** | **3800.00** |
| | (1) भवन निर्माण (मुख्यालय आवासीय भवन) | | 105.30 | 500.00 | 1000.00 |
| | (2) भवन निर्माण (जिला यूनियन / प्राथमिक समिति) | | 0.00 | 200.00 | 300.00 |
| | (3) गोदाम निर्माण | | 0.00 | 1300.00 | 2500.00 |
| 2 | अंशपूंजी क्रय | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 10.00 |
| 3 | वाहन क्रय | 100.00 | 9.98 | 100.00 | 50.00 |
| 4 | फर्नीचर, उपस्कर, आंतरिक साज-सज्जा क्रय | 200.00 | 3.16 | 200.00 | 100.00 |
| 5 | कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण क्रय | 80.00 | 7.42 | 80.00 | 50.00 |
| 6 | कार्यालयीन उपकरण क्रय | 50.00 | 0.63 | 50.00 | 15.00 |
| | **योग** | **2030.00** | **126.49** | **2530.00** | **4025.00** |

टीपः-1. मुख्य मद से उप मद में राशि आबंटन / परिवर्तन करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।

# <u>अनुमानित आय</u>

## (अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2021-22 में वनोपज की बिक्री से रू. **82,115.15** लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है:-

| अ.क्र. | वनोपज का नाम | प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में) |
|---|---|---|
| 1. | तेन्दू पत्ता | 82,115.15 |
| | योग | **82,115.15** |

उपरोक्त तालिका में दर्शायी आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

| अ.क्र. | विवरण | राशि (रूपये लाख में) |
|---|---|---|
| 1. | तेन्दू पत्ता<br>वर्ष 2019 संग्रहण काल में गोदामीकृत 5.658 लाख मानक बोरा में से अविक्रित 0.677 लाख मानक बोरा की 50% मात्रा हेतु अनुमानित रू. 3500/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य की राशि | 1,184.75 |
| 2. | वर्ष 2020 संग्रहण काल में गोदामीकृत 1.991 लाख मानक बोरा में से अविक्रित 1.344 लाख मानक बोरा की 75% मात्रा हेतु अनुमानित रू. 3800/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य की राशि | 3830.40 |
| 3. | वर्ष 2021 संग्रहण काल में कुल संग्रहण अनुमान 16.717 लाख मानक बोरा हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 13.000 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 5500/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य | 71,500.00 |
| 4. | वर्ष 2022 संग्रहण काल में कुल संग्रहण अनुमान 16.717 लाख मानक बोरा हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 10.000 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 5600/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 10% राशि | 5,600.00 |
| | योग | **82,115.15** |

(ब) विविध आय

| अ.क्र. | विवरण | राशि (रूपये लाख में) |
|---|---|---|
| 1. | वनोपज व्यापार से प्राप्त विविध आय | 1,200.00 |
| योग | | **1,200.00** |

(स) तेन्दू पत्ता संग्राहकों की सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु प्राप्त राशि

| अ.क्र. | विवरण | राशि (रू. लाख में) |
|---|---|---|
| 1. | राज्य शासन से शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दू पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु प्राप्त अनुदान | 2,000.00 |
| योग | | **2,000.00** |

(द) अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास अनुमानित आय (रूपये करोड़ में)

| क्र. | मद क्रमांक | मद एवं उपमद का नाम | विवरण | राशि 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | उपलब्ध राशि | प्रस्तावित आय | योग |
| अ. विक्रय से प्राप्त आय | | | | | | |
| 1 | 47 | न्यूनतम समर्थन मूल्य परियोजना अंतर्गत वनोपजों के विक्रय से प्राप्त आय | केन्द्र प्रवर्तित योजना | | | |
| 2 | 27.11.1 | अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के विक्रय से प्राप्त आय | | | | 150.00 |
| 3 | | प्रसंस्कृत उत्पाद विक्रय से आय | | | | 25.00 |
| 4 | | लघु वनोपज व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति | राज्य योजना | | | 25.00 |
| योग | | | | | | **200.00** |
| 5 | 7 | न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना | केन्द्र प्रविर्तित योजना | 150.00 | 50.00 | 200.00 |
| 6 | 8 | वनधन विकास केन्द्र योजना | केन्द्र प्रविर्तित योजना | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| 7 | 31 | लोक संरक्षित क्षेत्र - 01 संघ मद परियोजना | संघ पोषित योजना | 10.55 | | 10.55 |
| 8 | 32 | आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना | राज्य शासन योजना | | 5.00 | 5.00 |
| 9 | 39.3 | गोदाम निर्माण एवं हाट बाजार उन्नयन | केन्द्र प्रविर्तित योजना | 3.00 | 10.00 | 13.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 46 | प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.ज.जा.) 14-2406-102-5231 लघु वनोपज कार्य हेतु | केन्द्र क्षेत्रीय योजना | 51.00 | - | 51.00 |
| 11 | 47 | प्रसंस्करण केन्द्र राज्य शासन योजना (अ.ज.जा.) 41-2406-01-102-0102-5231 | राज्य योजना | | - | - |
| 12 | 51 | छ.ग राज्य में अकाष्ठीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना | संघ पोषित योजना | 5.25 | - | 5.25 |
| 13 | 52 | अकाष्ठीय वनोपज प्रजाति / औषधी खेती | संघ पोषित योजना | 6.00 | - | 6.00 |
| 14 | 35 | लाख विकास योजना | राज्य योजना | 5.00 | - | 5.00 |
| क्र. | मद क्रमांक | मद एवं उपमद का नाम | विवरण | राशि 2021-22 | | |
| | | | | उपलब्ध राशि | प्रस्तावित आय | योग |
| 15 | 53 | लघु वनोपज आधारित उद्योग विकास | संघ पोषित योजना | 1.00 | - | 1.00 |
| 16 | 54 | अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज - क्षमता विकास परियोजना | अन्य स्रोत (NRLM) आदि | - | 13.75 | 13.75 |
| 17 | 55 | विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना | बाह्य सहायता प्राप्त | - | 10.00 | 10.00 |
| 18 | 56 | लघु वनोपज प्रसंस्करण ईकाईयॉ | केन्द्रीय योजना एवं अन्य स्रोत | - | 41.00 | 41.00 |
| 19 | 57 | लघु वनोपज प्रसंस्करण ईकाईयॉ | केन्द्र प्रविर्तित योजना | | 20.00 | 20.00 |
| 20 | 58 | लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान | राज्य योजना | - | | - |
| 21 | 60 | अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का क्रय/विकय, भण्डारण एवं प्रसंस्करण (पूर्व में मद क्रमांक-27.11) | संघ पोषित योजना | 170.00 | | 170.00 |
| | | | **योग:-** | **406.80** | **154.75** | **561.55** |
| | | स. ऋण | | | | |
| 22 | | निरंक | | | | |
| | | | **महायोग:-** | **406.80** | **154.75** | **761.55** |

## आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण

| अ.क्र. | आय | राशि (रूपये लाख में) |
|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के बिक्री से आय | 82,115.15 |
| 2. | विविध आय | 1,200.00 |
| 3. | तेन्दू पत्ता संग्राहकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु प्राप्त राशि | 2,000.00 |
| 4. | अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास के लिये प्राप्त राशि | 15475..00 |
| | **महा योग** | **1,00,790.15** |

| अ.क्र. | व्यय | राशि (रूपये लाख में) |
|---|---|---|
| 1. | कुल संग्रहण व्यय | 85,256.70 |
| 2. | कार्यालयीन व्यवस्था व्यय | 3,336.00 |
| 3. | संग्राहकमूलक योजनाओं पर व्यय | 5,332.00 |
| 4. | पूंजीगत व्यय | 4,025.00 |
| 5. | अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास एवं विपणन पर व्यय | 62015.00 |
| 6. | प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य | 00.00 |
| 7. | प्राथमिक समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय / विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु तथा घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि | निरंक |
| | **महा योग** | **1,59,964.70** |

## आधिक्य / कमी (लाख में)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कुल आय | **1,00,790.15** |
| 2. | पूर्व के वर्ष की उपलब्ध राशि | **40,680.00** |
| 3. | **कुल उपलब्ध राशि** | **1,41,470.15** |
| 4. | कुल व्यय | **1,59,964.70** |
| 5. | संघ का शुद्ध लाभ **(3-4)** | **- 18,494.55 (हानि)** |

## संघ की पूंजी (शीड केपीटल) (लाख में)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संघ की पूंजी (शीड केपीटल) | **8,538.35** |

## <u>वर्ष 2020-21 में स्वीकृत बजट के विरूद्ध अनुपूरक / पुनरीक्षित बजट का अनुमोदन</u>

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु स्वीकृत बजट के विरूद्ध **दिनांक 31.11.2020 की स्थिति में व्यय राशि एवं आगामी 5 माह में अधिक व्यय होना संभावित** है। आमसभा में स्वीकृत / प्रस्तावित बजट के अंतर्गत कुछ मदों में अतिरिक्त व्यय निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

1. **स्टेशनरी आदि क्रयः**- स्टेशनरी आदि क्रय में स्वीकृत बजट राशि रूपये 15.00 लाख के विरूद्ध 25.00 लाख होगा क्योंकि नई योजनाएं लागू होने से स्टेशनरी पर अधिक व्यय होना संभावित है।

2. **टेलीफोन एवं इंस्टालेशन/लीज़ व्ययः**- टेलीफोन में राशि रूपये 6.00 लाख के विरूद्ध 8.00 लाख का व्यय लीज़ लाईन इंस्टालेशन आदि के कारण संभावित है।

3. **प्रचार प्रसारः**- प्रचार - प्रसार कार्य अंतर्गत 25.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध 1.00 करोड़ व्यय विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रचार - प्रसार पर किया जाना संभावित है।

4. **वाहन ईंधन व्ययः**- वाहन ईंधन व्यय में राशि रूपये 15.00 लाख के विरूद्ध 20.00 लाख का व्यय किया जाना है क्योंकि नया रायपुर के आवागमन के कारण अधिक व्यय संभावित है।

5. **वाहन किरायाः**- वाहन किराया मद में पूर्व में कोई बजट आबंटन स्वीकृत नही था। चूंकि संघ मुख्यालय के कर्मचारियों को कार्यालय आने - जाने की व्यवस्था हेतु बस सुविधा एवं वाहन किराये पर लेकर उपलब्ध कराई जाती है। उक्त मद में दिनांक 30.11.2020 तक राशि रूपये 8.31 लाख व्यय किया जा चुका है। अतः राशि रूपये 25.00 लाख का नया मद के तहत प्रावधान किया गया। कृपया नये मद में व्यय राशि का अनुमोदन करना चाहेंगे।

6. **विविध व्ययः**- विविध व्यय में राशि रूपये 10.00 लाख के विरूद्ध 15.00 लाख का व्यय संभावित है। चूंकि 31.11.2020 तक राशि रूपये 8.65 लाख व्यय किया जा चुका है। आगामी 04 माह में अधिक व्यय संभावित है।

7. **अंकेक्षण शुल्कः**- अंकेक्षण शुल्क में राशि रूपये 10.00 लाख के विरूद्ध 5.00 लाख किया जाना है चूंकि अंकेक्षण शुल्क की दरें कम प्राप्त हो रही है।

8. **घसारा (डेपरिशियेशन)**:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में आबंटित बजट राशि रूपये 200.00 लाख के विरूद्ध 250.00 लाख व्यय हुआ जिसमें विभिन्न वर्षो में पूर्ण किये गये गोदाम निर्माण एवं समिति कार्यालय भवन आदि पर अवयक्षण भारित किया

गया जिसमें जिला यूनियन एवं संघ मुख्यालय के व्यय सम्मिलित है। अतः अतिरिक्त राशि रूपये 50.00 लाख का अनुमोदन करना चाहेंगे।

9. **विभिन्न भवनों / परिसरों का रख रखाव/मरम्मतः**- वित्तीय वर्ष 2019-20 में आबंटित बजट राशि रूपये 10.00 लाख के विरूद्ध 15.00 लाख व्यय हुआ जिसमें प्रबंध संचालक जिला यूनियनों एवं समिति कार्यालयों भवन पूर्व में निर्मित होने के कारण साफ - सफाई पोताई / मरम्मत आदि पर अतिरिक्त व्यय हुआ है।

10. **सलाहकार सेवाएं एवं व्ययः**- सलाहकार सेवाओं पर व्यय दिनांक 30.11.2020 तक राशि रूपये 62.82 लाख का व्यय किया जा चुका है। अतः उक्त नये मद में राशि रूपये 62.82 लाख का कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे।

| अ. क्र. | संशोधित मद | वर्ष 2020-21 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत बजट | दिनांक 30.11.20 तक का वास्तविक व्यय | पुनरीक्षित बजट |
| 1 | स्टेशनरी आदि क्रय | 15.00 | 2.97 | 25.00 |
| 2 | टेलीफोन एवं इन्स्टालेशन/लीज़ व्यय | 6.00 | 2.70 | 8.00 |
| 3 | प्रचार-प्रसार | 25.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | वाहन ईन्धन व्यय | 15.00 | 11.37 | 20.00 |
| 5 | वाहन किराया | 0.00 | 8.31 | 25.00 |
| 6 | विविध व्यय | 10.00 | 8.65 | 15.00 |
| 7 | अंकेक्षण शुल्क | 10.00 | 0.00 | 5.00 |
| 8 | घसारा (डिपरिशिएशन) | 200.00 | 0.00 | 250.00 |
| 9 | विभिन्न भवनों, परिसरों का रख रखाव/मरम्मत | 10.00 | 8.62 | 15.00 |
| 10 | सलाहकार सेवाएं पर व्यय | **0.00** | **62.82** | **62.82** |
| | (1) व्यवसायिक | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (2) तकनीकि | 0.00 | 62.82 | 62.82 |
| | **योग** | **2743.00** | **597.01** | **2977.82** |

उपरोक्त मदों में पुनरीक्षित व्यय अंतर्गत दर्शाये गये राशियों का कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे।

**शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजनाः**- शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना में 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन से तथा 50 प्रतिशत राशि संघ स्तर से व्यय किये जाने की संघ के संचालक मण्डल में स्वीकृति उपरांत राशि रूपये 1330.00 लाख संघ स्तर का एवं 1330.00 शासन से प्राप्त राशि सहित कुल राशि रूपये 2660.00 लाख व्यय का प्रावधान पुनरीक्षित बजट में किया गया है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे।

**<u>तेन्दूपत्ता संग्राहक सामुहिक सुरक्षा योजना</u>**:- तेन्दूपत्ता संग्राहक सामुहिक सुरक्षा योजना (परिवार बीमा योजना) के तहत दिनांक 30.11.2020 तक राशि रूपये 9.36 लाख का व्यय किया जा चुका है। राशि रूपये 200.00 लाख पुनरीक्षित बजट में प्रावधानित किया जाना प्रस्तावित है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे।

**<u>फड मुंशी बीमा योजना</u>**:- फड मुंशी बीमा योजना में के व्यय राशि का भुगतान संघ स्तर से भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जाता है जिसमें राशि रूपये 46.99 लाख भुगतान किया जा चुका है। राशि रूपये 46.99 लाख पुनरीक्षित बजट में प्रावधानित किया जाना प्रस्तावित है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे।

**<u>समिति प्रबंधकों का बीमा योजना</u>**:- समिति प्रबंधकों के बीमा योजना में राशि रूपये 7.33 लाख का व्यय किया जा चुका हैं। अतः राशि रूपये 7.33 लाख पुनरीक्षित बजट में प्रावधानित किया जाना प्रस्तावित है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे।

**<u>मेघावी व प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना (छात्रवृत्ति)</u>**:- मेघावी व प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना (छात्रवृत्ति) का भुगतान संबंधित छात्रों को डीबीटी के माध्यम से बैंक द्वारा सीधे भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। जिस हेतु राशि रूपये 1367.76 लाख का भुगतान संबंधितों को भुगतान किये जाने की कार्यवाही की गई। शेष राशि रूपये 1500.00 का भुगतान किये जाने हेतु प्रावधान किया जा रहा है।

| अ.क्र. | संशोधित मद | वर्ष 2020-21 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत बजट | दिनांक 30.11.20 तक का वास्तविक व्यय | पुनरीक्षित बजट |
| 1 | बीमा योजनायें | **14.65** | **63.68** | **2914.32** |
| | (1) शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना | 0.00 | 0.00 | 2660.00 |
| | (2) तेन्दू पत्ता संग्राहक सामुहिक सुरक्षा योजना (परिवार बीमा योजना) | 0.00 | 9.36 | 200.00 |
| | (3) फड़ मुंशी बीमा योजना (LIC) | 0.00 | 46.99 | 46.99 |
| | (4) समिति प्रबंधकों की बीमा योजना (LIC) | 0.00 | 7.33 | 7.33 |
| 2 | मेधावी व प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना (छात्रवृत्ति) | 0.00 | 1367.76 | 1500.00 |
| **योग** | | **14.65** | **1431.44** | **4414.32** |

उक्त बीमा योजनाओं में व्यय से संबंध में संघ के संचालक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त है।

पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में पूर्व में प्रावधानित मदों में सुव्यवस्थित व्यय हेतु के आंशिक विभाजन / संशोधन किया जाकर पुनरीक्षित बजट में राशि रूपये 1500.00 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 2000.00 लाख व्यय का अनुमोदन करना चाहेंगे।

| अ. क्र. | मद | | वर्ष 2020-21 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्वीकृत बजट | दिनांक 30.11.20 तक का वास्तविक व्यय | पुनरीक्षित बजट |
| 1 | निर्माण (अचल सम्पत्ति) | | **1500.00** | **105.30** | **2000.00** |
| | (1) | भवन निर्माण (मुख्यालय आवासीय भवन) | 0.00 | 105.30 | 500.00 |
| | (2) | भवन निर्माण (जिला यूनियन/प्राथमिक समिति) | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | (3) | गोदाम निर्माण | 0.00 | 0.00 | 1300.00 |

**---000---**

# लघु वनोपज / औषधी पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं पर वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित बजट हेतु अनुमानित व्यय

**1. भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत क्रय की जाने वाली लघु वनोपज हेतु अनुदान-**

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 में राशि रू. 150 करोड़ प्रस्तावित था। महिला स्व सहायता समूह द्वारा 6 माह में ही 130 करोड़ की लघु वनोपज क्रय किया गया है। साथ ही वर्ष 2020-21 में 15 वनोपज के स्थान पर 38 वनोपज का क्रय किया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2020-21 में लगभग राशि रू. 200 करोड़ के लघु वनोपज का क्रय लक्ष्य न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित बजट में राशि रू. 150 करोड़ के स्थान पर राशि रू. 196.5 करोड़ प्रस्तावित की जा रही है।

**2. लाख विकास योजना-**

वित्तीय वर्ष 2020-21 में लाख को शासन द्वारा वर्तमान वर्ष में कृषि फसल घोषित किया गया है। तदानुसार योजना का स्वरूप पूर्णरूपेण परिवर्तित हो गया है। वर्तमान में इस हेतु अभी शासन से पृथक से बजट प्राप्त नही हुआ है। तदानुसार उक्त मद में स्वीकृत राशि रू. 2.75 करोड़ को पुनरीक्षित कर राशि रू. 1.70 करोड़ प्रस्तावित किया जा रहा है।

**3. पी.पी.ए. आदिवासी उप योजना मद-**

कृषि वानिकी द्वारा महत्वपूर्ण लघु वनोपज तथा औषधिय प्रजातियों को कलस्टर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे गैर वनक्षेत्र से भी पर्याप्त मात्रा में लघु वनोपज / औषधि का उत्पादन हो सके। इसके साथ उपरोक्त कार्य वन अधिकार पत्र प्राप्त कृषकों के इच्छुक होने की स्थिति में उपरोक्त योजना में सम्मिलित कर सकते हैं। यह कार्य लोक संरक्षित क्षेत्र योजनांतर्गत संपादित किया जाना प्रस्तावित है।

**4. प्रधान मंत्री वनधन विकास योजना मद-**

प्राथमिक प्रसंस्करण / प्रसंस्करण से जुड़े वनधन विकास केन्द्रों के अंतर्गत लगभग राशि रू. 10 करोड़ का उत्पाद निर्माण लक्ष्य स्वीकृत किया गया है। इस हेतु केन्द्र से संलग्न समूहों को चक्रीय राशि एवं अन्य आवश्यक उपकरण आदि प्रदाय करने के लिए प्रधानमंत्री वनधन विकास केन्द्र योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत राशि रू 5 करोड़ को बढ़ाकर राशि रू. 9 करोड़ पुनरीक्षित बजट में प्रस्तावित की जा रही है।

**5. हाट बाजार उन्नयन-**

आदिवासी मामले के मंत्रालय भारत शासन से हाट बाजार उन्नयन / गोदाम निर्माण हेतु राशि रू. 10.57 करोड़ प्राप्त हुई थी। लघु वनोपज खरीदी हेतु स्थापित 839 हाट बाजारों के अंतर्गत ऐसे हाट बाजार जहां अधिकाधिक लघु वनोपज क्रय की

संभावनायें हैं, वहां हाट बाजार उन्नयन एवं गोदाम निर्माण प्रस्तावित है। इस हेतु उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु स्वीकृत बजट राशि रू. 5 करोड़ के स्थान पर पुनरीक्षित बजट में राशि रू. 10 करोड़ प्रस्तावित की जा रही है।

**6. संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से स्वीकृत छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना**

शासन से प्राप्त निर्देशानुसार लघु वनोपज के प्रसंस्करण / विपणन को बढ़ावा दिये जाने के उददेश्य से संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से स्वीकृत छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना अंतर्गत अनुसंधान विस्तार, विपणन एवं हितग्राहियों के अधिकाधिक क्षमता विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत बजट राशि रू.3.61 करोड़ के स्थान पर राशि रू.3.85 करोड़ प्रस्तावित की जा रही है।

**7. केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना-**

शासन से प्राप्त निर्देशानुसार लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना प्रस्तावित है। केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई बालोद जिला के पाटन में तथा क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई दंतेवाड़ा जिला एवं सरगुजा संभाग में स्थापित की जावेगी। इस हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मद में राशि रू. 3.60 करोड़, ट्रायफूड योजना में राशिरू. 2 करोड़ पुनरीक्षित बजट वर्ष 2020-21 में प्रस्तावित किया गया है।

**8. अकाष्ठीय वनोपज प्रजाति / औषधि खेती तथा लोक संरक्षित क्षेत्र-**

लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों को जारी रखने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण प्रजातियों का संरक्षण किया जावे। इस हेतु संघ मद में संचालित पी.पी.ए. योजना अंतर्गत राशि रू. 8 करोड़ एवं नवीन प्रस्तावित संघ पोषित योजना अंतर्गत राशि रू. 1 करोड़ पुनरीक्षित बजट वर्ष 2020-21 प्रस्तावित की गई है।

**9. लघु वनोपज आधारित उद्यमिता विकास-**

लघु वनोपज आधारित उद्योगों का बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति वर्ष 2019-20 में लघु वनोपज को अति प्राथमिकता के उद्योग घोषित किये गये हैं। तदानुसार लघु वनोपज उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए राशि रू. 0.50 करोड़ पुनरीक्षित बजट वर्ष 2020-21 प्रस्तावित की गई है।

**10. अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज क्षमता विकास योजना-**

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज क्षमता विकास हेतु एक योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन को प्रेषित की गई है। तदानुसार उक्त मद में राशि रू. 5 करोड़ पुनरीक्षित बजट वर्ष 2020-21 प्रस्तावित की गई है ताकि समूहों के क्षमता विकास से लक्ष्य अनुरूप प्रगति प्राप्त की जा सके।

11. **अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज क्रय विक्रय भंडारण एवं प्रसंस्करण-**

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अतिरिक्त आर्थिक महत्व के 14 लघु वनोपज की खरीदी तेन्दूपत्ते के व्यापार के आय की 15 प्रतिशत राशि से की जा रही है। साथ ही इस मद से लघु वनोपज प्रसंस्करण, अधोसंरचना विकास एवं विपणन कार्य भी प्रस्तावित किये गये हैं। अतः उक्त मद में राशि रू. 44.35 करोड़ पुनरीक्षित बजट वर्ष 2020-21 प्रस्तावित की जा रही है।

--- 000 ---

## अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार/विकास हेतु प्रस्तावित पुनरीक्षित बजट
## वित्तीय वर्ष 2020-21 (रूपये करोड़ में)

| क्र. | मद क्रमांक | मद एवं उपमद का नाम | विवरण | वित्तीय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | **न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना** | केन्द्र प्रवर्तित योजना | |
| | 7.1 | लघु वनोपज क्रय | | 175.00 |
| | 7.2 | लघु वनोपज संग्रहण / भंडारण पर व्यय | | 20.00 |
| | 7.3 | प्रशासकीय व्यय | | 1.50 |
| 2 | 8 | **प्रधान मंत्री वन धन योजना** | केन्द्र क्षेत्रीय योजना | |
| | 8.1 | वन धन केन्द्र स्थापना एवं उपकरण व्यवस्था | | 1.00 |
| | 8.2 | प्राथमिक प्रसंस्करण / प्रसंस्करण | | 7.00 |
| | 8.3 | क्षमता विकास (प्राथमिक प्रसंस्करण) | | 2.00 |
| 3 | 31 | **लोक संरक्षित क्षेत्र - 01 (संघ मद) परियोजना** | संघ पोषित योजना | |
| | 31.1 | संसाधन सर्वेक्षण | | 0.50 |
| | 31.2 | अंतःस्थलीय संवर्धन | | 6.00 |
| | 31.3 | अंतःस्थलीय संवर्धन क्षमता विकास | | 0.30 |
| | 31.4 | लोक संरक्षित क्षेत्र हेतु विविध व्यय | | 1.20 |
| 4 | 32 | **आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना** | राज्य योजना | |
| | 32.1 | संसाधन सर्वेक्षण | | 0.25 |
| | 32.2 | अंतः स्थलीय संवर्धन | | 0.50 |
| | 32.3 | बाहय स्थलीय संवर्धन एवं औषधि रोपणी | | 0.25 |
| | 32.4 | प्रशिक्षण एवं विस्तार व्यय | | 0.25 |
| | 32.5 | प्रसंस्करण व्यय | | - |
| | 32.6 | वन औषधालय | | 0.25 |
| | 32.7 | अन्य व्यय | | |
| 5 | 39.3 | **गोदाम निर्माण हाट बाजार उन्नयन** | केन्द्र प्रवर्तित योजना | 7.50 |
| | 39.3.1 | गोदाम निर्माण | | |
| | 39.3.2 | एन.डब्ल्यू.एफ.पी मार्ट थोक विक्रय सह भंडारण केन्द्र निर्माण व अन्य निर्माण | | |
| | 39.3.3 | हाट बाजार उन्नयन | | |
| 6 | 46 | **प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.ज.जा.) 14-2406-102-5231 लघु वनोपज कार्य हेतु** | केन्द्र क्षेत्रीय योजना | |
| | 46.1 | प्रसंस्करण केन्द्रों भवन निर्माण व्यय | | 1.00 |
| | 46.2 | प्रसंस्करण केन्द्रो का मशीनरी व्यय | | |
| | 46.3 | स्थापना व्यय/तकनीकी सहायता/क्षमता विकास | | 0.50 |
| | 46.4 | कार्य पूंजी | | |
| | 46.5 | अन्य व्यय | | 0.10 |
| | 46.6 | अधोसंरचना निर्माण | | 2.00 |
| 7 | 47 | **प्रसंस्करण केन्द्र राज्य शासन योजना (अ.ज.जा.) 41-2406-01-102-0102-5231** | राज्य योजना | |
| | 47.1 | प्रसंस्करण केन्द्रों का भवन निर्माण व्यय | | |
| | 47.2 | प्रसंस्करण केन्द्रो का मशीनरी व्यय | | |

| क्र. | मद क्रमांक | मद एवं उपमद का नाम | विवरण | वित्तीय |
|---|---|---|---|---|
| | 47.3 | कार्य पूंजी/स्व-सहायता समूहों को प्रदाय की गई चक्रीय राशि | | |
| | 47.4 | तकनीकी सहायता/क्षमता विकास | | |
| | 47.5 | अन्य व्यय | | |
| 8 | 51 | **छ.ग राज्य में अकाष्ठीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना** | संघ पोषित योजना | |
| | 51.1 | अकाष्ठीय वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य | | 0.25 |
| | 51.2 | भंडारण | | 0.10 |
| | 51.3 | विपणन | | 0.50 |
| | 51.4 | अनुसंधान एवं विस्तार | | 1.00 |
| | 51.5 | हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा | | 0.50 |
| | 51.6 | लघु वनोपज का संरक्षण | | |
| | 51.7 | सूचना प्रबंधन प्रणाली | | 1.00 |
| | 51.8 | मानव संसाधन प्रबंधन एवं क्षमता विकास | | 0.50 |
| 9 | 52 | **अकाष्ठीय वनोपज प्रजाति / औषधी खेती** | संघ पोषित योजना | 1.00 |
| | 52.1 | अकाष्ठीय वनोपज प्रजाति विस्तार हेतु कलस्टर चयन (प्रथम वर्ष) | | |
| | 52.2 | अकाष्ठीय वनोपज प्रजाति कलस्टर विस्तार (द्वितीय वर्ष) | | |
| | 52.3 | अकाष्ठीय वनोपज प्रजाति कलस्टर विस्तार (तृतीय वर्ष) | | |
| 10 | 35 | **लाख विकास योजना** | राज्य योजना | |
| | 35.1 | लाख संबंधी सर्वेक्षण | | 0.25 |
| | 35.2 | लाख पालन परियोजना | | 0.50 |
| | 35.3 | लाख प्रसंस्करण | | 0.50 |
| | 35.4 | लाख विषय पर क्षमता विकास | | 0.25 |
| | 35.5 | लाख अनुसंधान एवं विस्तार | | 0.10 |
| | 35.6 | लाख आधारित उद्यमिता विकास | | 0.10 |
| 11 | 53 | **लघु वनोपज आधारित उद्योग विकास** | संघ पोषित योजना | |
| | 53.1 | उद्यमिता विकास कार्यक्रम | | 0.10 |
| | 53.2 | उद्यमिता संबंधी कार्यशाला आदि आयोजन | | 0.20 |
| | 53.3 | विशेषज्ञ सेवाऐं | | 0.10 |
| | 53.4 | उद्यमी विकास संबंधी अन्य कार्य | | 0.10 |
| 12 | 54 | **अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज - क्षमता विकास परियोजना** | अन्य स्रोत (NRLM) आदि | |
| | 54.1 | सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट पर प्रशिक्षण | | 2.00 |
| | 54.2 | प्रसंस्कृत उत्पाद प्रशिक्षण | | 1.00 |
| | 54.3 | उत्पाद विपणन पर प्रशिक्षण | | 0.50 |
| | 54.4 | वैकल्पिक आय तथा समूह सुदृढ़ीकरण प्रशिक्षण | | 0.50 |
| | 54.5 | लघु वनोपज का संवर्धन एवं खेती | | 1.00 |
| 13 | 55 | **विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना** | बाहृय सहायता प्राप्त | - |
| 14 | 56 | **लघु वनोपज प्रसंस्करण ईकाईयॉं** | | - |
| | 56.1 | केन्द्रीय प्रसंस्करण ईकाई | केन्द्र प्रवर्तित योजना (TRIFOOD) | 2.00 |
| | 56.2 | क्षेत्रीय प्रसंस्करण ईकाई सरगुजा | संघ योजना | - |
| | 56.3 | लघु वनोपज प्रसंस्करण पार्क दंतेवाड़ा | अन्य स्रोत | - |

| क्र. | मद क्रमांक | मद एवं उपमद का नाम | विवरण | वित्तीय |
|---|---|---|---|---|
| | 57 | लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान | केन्द्र प्रवर्तित योजना | - |
| | 58 | लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान | राज्य योजना | - |
| 15 | 60 | **अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का क्रय/विक्रय, भंडारण एवं प्रसंस्करण (पूर्व में मद क्रमांक-27.11)** | संघ पोषित योजना | |
| | 60.1 | अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का संग्रहण | | 9.85 |
| | 60.2 | अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज प्राथमिक प्रसंस्करण / प्रसंस्करण | | 20.00 |
| | 60.3 | अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का विपणन | | 10.00 |
| | 60.4 | क्षमता विकास | | 0.50 |
| | 60.5 | अनुसंधान एवं विस्तार | | 2.00 |
| | **60.6** | **अधोसंरचना विकास** | | |
| | 60.6.1 | नवीन भवन निर्माण | | 1.00 |
| | 60.6.2 | भवन मरम्मत | | 1.00 |
| | | **योग** | | **285.50** |

## अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास हेतु प्रस्तावित पुनरीक्षित राजस्व बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 (रूपये करोड़ में)

| क्र. | मद क्रमांक | मद एवं उपमद का नाम | विवरण | राशि 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | उपलब्ध राशि | प्रस्तावित आय | योग |
| | | अ. विक्रय से प्राप्त आय | | | | |
| 1 | 47 | न्यूनतम समर्थन मूल्य परियोजना अंतर्गत वनोपजों के विक्रय से प्राप्त आय | केन्द्र प्रवर्तित योजना | | | |
| 2 | 27.11.1 | अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के विक्रय से प्राप्त आय | | 20.00 | 55.00 | 75.00 |
| 3 | | प्रसंस्कृत उत्पाद विक्रय से आय | | | 5.00 | 5.00 |
| 4 | | लघु वनोपज व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति | राज्य योजना | | 20.00 | 20.00 |
| | | **योग** | | **20.00** | **80.00** | **100.00** |
| 5 | 7 | न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना | केन्द्र प्रविर्तित योजना | 200.00 | | 200.00 |
| 6 | 8 | वनधन विकास केन्द्र योजना | केन्द्र प्रविर्तित योजना | 10.00 | - | 10.00 |
| 7 | 31 | लोक संरक्षित क्षेत्र - 01 संघ मद परियोजना | संघ पोषित योजना | 5.00 | | 5.00 |
| 8 | 32 | आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना | राज्य शासन योजना | | 4.36 | 4.36 |
| 9 | 39.3 | गोदाम निर्माण एवं हाट बाजार उन्नयन | केन्द्र प्रविर्तित योजना | 7.50 | - | 7.50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 46 | प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.ज.जा.) 14-2406-102-5231 लघु वनोपज कार्य हेतु | केन्द्र क्षेत्रीय योजना | 51.00 | - | 51.00 |
| 11 | 47 | प्रसंस्करण केन्द्र राज्य शासन योजना (अ.ज.जा.) 41-2406-01-102-0102-5231 | राज्य योजना | | | |
| 12 | 51 | छ.ग राज्य में अकाष्ठीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना | संघ पोषित योजना | 3.85 | - | 3.85 |
| 13 | 52 | अकाष्ठीय वनोपज प्रजाति / औषधी खेती | संघ पोषित योजना | 1.00 | - | 1.00 |
| 14 | 35 | लाख विकास योजना | राज्य योजना | 2.00 | | 2.00 |
| क्र. | मद क्रमांक | मद एवं उपमद का नाम | विवरण | राशि 2021-22 | क्र. | मद क्रमांक |
| 15 | 53 | लघु वनोपज आधारित उद्योग विकास | संघ पोषित योजना | 0.50 | | 0.50 |
| 16 | 54 | अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज - क्षमता विकास परियोजना | अन्य स्रोत(NRLM) आदि | | 5.00 | 5.00 |
| 17 | 55 | विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना | बाहृय सहायता प्राप्त | | | - |
| 18 | 56 | लघु वनोपज प्रसंस्करण ईकाईयॉ | केन्द्रीय योजना एवं अन्य स्रोत | | 2.00 | 2.00 |
| 19 | 57 | लघु वनोपज प्रसंस्करण ईकाईयॉ | केन्द्र प्रविर्तित योजना | | | |
| 20 | 58 | लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान | राज्य योजना | | | |
| 21 | 60 | अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का क्रय/विक्रय, भण्डारण एवं प्रसंस्करण (पूर्व में मद क्रमांक-27.11) | संघ पोषित योजना | 44.35 | | 44.35 |
| | | **योग** | | **325.20** | **11.36** | **336.56** |
| | | | स. ऋण | | | |
| 22 | | निरंक | | | | |
| | | **महा योग** | | **345.20** | **91.36** | **436.56** |

## विषय क्रमांक - 7

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत्।**

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के अंदर अंकेक्षण कार्य कराया जाना है तथा अधिनियम की धारा 49 (छ) अनुसार वार्षिक साधारण सम्मेलन में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति की जानी है।

अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंकेक्षण हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाये द्वारा सूचीकृत चार्टड एकांउटेंट फर्मो से विज्ञापन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंकेक्षण हेतु आवेदन प्राप्त कर परीक्षण उपरांत तकनीकी रूप से पात्र न्यूनतम दर प्रस्तुत कर्ता फर्म को अंकेक्षक नियुक्त किये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/7189 दिनांक 17.07.2020 से पत्र जारी कर दिनांक 17.07.2020 को विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 07.08.2020 को ऑफर प्राप्त किये जाकर नियुक्ति की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अंकेक्षण हेतु प्राप्त न्यूनतम दर राशि रू. 1,41,000/- पर मेसर्स रामा. के.गुप्ता एण्ड कंपनी, रायपुर को नियुक्त किया गया था, जिसको वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु संघ की 20वीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.09.2019 हेतु अनुमोदन उपरांत वित्तीय वर्ष 2018-19 की दर पर पुनः नियुक्त किया गया था।

पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/514 दिनांक 28.01.2014 से दिये गये निर्देशो की कण्डिका 8 में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म को किसी सोसायटी को लगातार 3 वर्षो की संपरीक्षा हेतु नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

वर्ष 2020-21 के अंकेक्षण हेतु निविदा दिनांक 07.08.2020 को निविदा बुलाई गई थी, जिसमें से निविदा के शर्तों के अनुसार न्यूनतम दर मेसर्स एस.के.पटोडिया एण्ड संस, रायपुर का दर रूपये 17,700/- (वस्तु एवं सेवा कर सहित) न्यूनतम पाया गया, जिन्हें वर्ष 2020-21 के अंकेक्षक नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

अतः छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (छ) के पालन में वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंकेक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव संघ की 82वीं संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 22.09.2020 के अनुमोदन उपरांत प्रस्ताव वार्षिक आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

## विषय क्रमांक - 8

**विषयः- वर्ष 2018 सीजन के लिये अग्रिम में अविक्रित तेन्दूपत्ता फड़ों एवं अस्थाई गोदाम हैंडलिंग एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति की राशि का अपलेखन करने बाबत्।**

जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित कांकेर का पत्र क्रमांक/जि.यू./2018/4312 दिनांक 28.12.2018 (छायाप्रति संलग्न) से वर्ष 2018 सीजन के लिए अग्रिम में अविक्रय तेन्दू पत्ता फड़ों एवं अस्थायी गोदाम पर हैंडलिंग एवं आंधी तूफान, दीमक प्रकोप के कारणों से हुई क्षति से हानि की राशि का अपलेखन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे संचालक मण्डल की 78वीं बैठक दिनांक 13.06.2019 के प्रस्ताव क्रमांक 78:06 को अनुमोदन उपरान्त वार्षिक आमसभा में अनुमोदन किये जाने हेतु निम्नानुसार सहमति दी गई थीः-

(विवरण -एक)

| क्र | प्राथमिक समिति का नाम एवं लाट क्रमांक | कुल संग्रहण मात्रा (मा.बो.) | कुल क्षति की मात्रा (मा.बो.) | हानि का प्रतिशत | कुल हानि की राशि संग्रहण दर रूपये 2500/- | अन्य व्यय 10 प्रतिशत राशि का (रूपये में) | कुल हानि की राशि (रूपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जेपरा | 515.343 | 22.983 | 4.46 | 57458.00 | 5746.00 | 51712.00 |
| | योगः- | 515.343 | 22.983 | 4.46 | 57458.00 | 5746.00 | 51712.00 |

उक्त पारित प्रस्ताव में लिपिकीय त्रुटि के कारण संग्रहण हानि की कुल राशि में 10 प्रतिशत की राशि घटाकर प्रस्तुत किया गया था। जबकि संग्रहण हानि की कुल राशि में 10 प्रतिशत अन्य कार्यो के व्ययों को जोड़कर प्रस्तुत किया जाना होता है। अतः जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित कांकेर से सम्बद्ध 2 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों का हानि राशि अपलेखन हेतु जानकारी निम्नानुसार दर्शित हैः-

(विवरण - दो)

| क्र | प्राथमिक समिति का नाम एवं लाट क्रमांक | कुल संग्रहण मात्रा (मा.बो.) | कुल क्षति की मात्रा (मा.बो.) | हानि का प्रतिशत | कुल हानि की राशि संग्रहण दर रूपये 2500/- | अन्य व्यय 10 प्रतिशत राशि का (रूपये में) | कुल हानि की राशि (रूपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जेपरा | 515.343 | 22.983 | 4.46 | 57458.00 | 5746.00 | 63204.00 |
| | योगः- | 515.343 | 22.983 | 4.46 | 57458.00 | 5746.00 | 63204.00 |

अतः जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित कांकेर से सम्बद्ध जेपरा समिति के प्राप्त हानि राशि का अपलेखन एवं संचालक मंडल की 78वीं बैठक दिनांक 13.06.2019 के प्रस्ताव क्रमांक 78:06 के कार्यवृत्त को सुधार हेतु विवरण दो अनुसार प्रस्ताव संचालक मण्डल के समक्ष अनुमोदन उपरान्त उक्त प्रस्ताव वार्षिक आमसभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

# छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

"वन धन भवन" सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर

## संघ मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी

| क्रमांक | अधिकारियों का नाम | संघ के पदनाम | विभागीय पदनाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री संजय शुक्ला, (भा.व.से) | प्रबंध संचालक | प्रधान मुख्य वन संरक्षक |
| 2 | श्री एस.एस.बजाज, (भा.व.से) | अपर प्रबंध संचालक (व्यापार) | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक |
| 3 | श्री बी.आनंद बाबू, (भा.व.से) | अपर प्रबंध संचालक (विकास) | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक |
| 4 | श्री एस.एस.बजाज, (भा.व.से) | कार्यकारी संचालक (अतिरिक्त प्रभार में) | मुख्य वन संरक्षक |
| 5 | श्री रमेश कुमार जांगड़े (भा.व.से) | महा प्रबंधक (अतिरिक्त प्रभार में) | वन संरक्षक |
| 6 | सुश्री किरन गुप्ता | सचिव | संयुक्त पंजीयक, सहकारिता विभाग |
| 7 | श्री रमेश कुमार जांगड़े (भा.व.से) | उप महा प्रबंधक | उप वन संरक्षक |
| 8 | श्री सुबीर कुमार दत्ता | उप महा प्रबंधक (प्रणाली) | उप महा प्रबंधक (प्रणाली), छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ |
| 9 | श्री रजनीश कुमार पटेल | प्रबंधक वित्त | सहायक लेखाधिकारी, वित्त विभाग |
| 10 | श्री के.के. धनगर | स्टॉफ ऑफिसर | स्टॉफ ऑफिसर, छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ |